# अध्याय IV: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग

## प्रस्तावना

सुदृढ़ आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी सहित राज्य सरकार के कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है । वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग में गुणवत्ता और समयबद्धता सुशासन की एक विशेषता है । अनुपालन और नियंत्रण पर रिपोर्टिंग, यदि प्रभावी और कार्यात्मक हो, सरकार को अपनी आधारभूत नेतृत्व की जिम्मेदारियों, जिनमें रणनीतिक योजना और निर्णय लेना शामिल हैं, को पूरा करने में सहायक होती है ।

यह अध्याय, चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार एवं इसके विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में विभिन्न महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना का विहंगम दृश्य एवं स्थिति प्रस्तुत करता है ।

## 4.1 उपकर/अधिभार की वसूली

उपकर सरकार द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जाता है और प्राप्त राशि का विशिष्ट उद्देश्य पर व्यय हो, यह सुनिश्चित करने हेतु प्राप्त राशि को विशेष लेखांकन के साथ एक पृथक निधि में रखा जाना आवश्यक है।

### 4.1.1 राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि में उपकर का कम हस्तांतरण

राजस्थान सरकार ने राज्य मार्गों के विकास और राज्य सड़क विकास की अन्य परियोजनाओं के लिए 2004 में राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम (अधिनियम) लागू करके राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि (निधि) का गठन किया। अधिनियम मोटर स्पिरिट (आमतौर पर पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल तेल के रूप में जाना जाता है) की बिक्री पर उपकर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर क्रमशः ₹1.50 और ₹1.75 प्रति लीटर की दर से उपकर लगाया गया था। अधिनियम की धारा 4 प्रावधित करती है कि लगाया गया उपकर राज्य की संचित निधि[1] में जमा किया जाएगा और बाद में विनियोजन के माध्यम से निधि में जमा किया जाएगा। निधि को लोक लेखा में ब्याज रहित आरक्षित निधि के रूप में गठित किया गया था और राज्य सरकार के लेखों में शीर्ष "8225-02-101 राज्य सड़क और पुल निधि" के तहत वर्गीकृत किया गया था।

उपकर के संग्रहण और निधि में अंतरण की विगत पांच वर्षों की वर्ष-वार स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

1. बजट शीर्ष 0040-800 (बिक्री, व्यापार आदि पर कर-अन्य प्राप्तियां)

**तालिका 4.1: उपकर के संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | वर्ष | अहस्तांतरित राशि का प्रारंभिक शेष | वर्ष के दौरान संग्रहित उपकर | कुल (3+4) | निधि में हस्तांतरित की गई राशि | अहस्तांतरित राशि का अंतिम शेष (5-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2016-17 | 714.33 | 1,311.78 | 2,026.11 | 0 | 2,026.11 |
| 2 | 2017-18 | 2,026.11 | 1,394.37 | 3,420.48 | 425.00 | 2,995.48 |
| 3 | 2018-19 | 2,995.48 | 1,409.62 | 4,405.10 | 260.34 | 4,144.76 |
| 4 | 2019-20 | 4,144.76 | 1,422.51 | 5,567.27 | 1,170.00 | 4,397.27 |
| 5 | 2020-21 | 4,397.27 | 1,176.62 | 5,573.89 | 1,011.46 | 4,562.43 |

यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2021 तक ₹4,562.43 करोड़ की राशि राज्य की समेकित निधि से निधि में हस्तांतरण हेतु लम्बित थी।

आगे, वर्ष 2020-21 के दौरान, सरकार ने पेट्रोल और डीजल उपकर के रूप में ₹1,176.62 करोड़ संग्रहित किये और निधि में ₹1,011.46 करोड़ हस्तांतरित किए। इस प्रकार, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नियमों का उल्लंघन कर निधि में ₹ 165.16 करोड़ का कम हस्तांतरण किया और अपने दायित्व को भविष्य के वर्षों के लिए स्थगित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा कम करके दिखाया गया।

संग्रहित उपकर को निधि में कम हस्तांतरित करने और यह पूछे जाने (अक्टूबर 2021) पर कि क्या निधि से व्यय नियमों में अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, विभाग ने लेखापरीक्षा को प्रत्युत्तर नहीं दिया।

### *4.1.2 जल संरक्षण उपकर निधि में उपकर का कम हस्तांतरण*

बजट भाषण (संशोधित) 2009-10 के अनुसार राजस्थान वित्त अधिनियम, 2009 में जल संरक्षण के उद्देश्य से राज्य में उपभोग की गई ऊर्जा पर दस पैसे प्रति यूनिट की दर से जल संरक्षण उपकर (उपकर) लगाने का प्रावधान किया गया था। उपकर का उद्देश्य बहते हुए जल के लिए जल संचयन संरचनाओं के निर्माण, भूजल पुनर्भरण और लोगों को दैनिक जीवन में पानी के संरक्षण की आदत के बारे में शिक्षित और संवेदनशील करने के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करना था।

तदनुसार, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 में 8 जुलाई 2009 से उपकर संग्रह करने का प्रावधान किया गया। उपकर राज्य की संचित निधि[2] में संग्रहित किया जाता है। जल संरक्षण उपकर निधि (निधि) का गठन लोक लेखा में बिना ब्याज वाली आरक्षित निधि[3] के रूप में किया गया था। संग्रहित उपकर मुख्य शीर्ष 2040-797 (बिक्री, व्यापार आदि पर कर) को नामे कर राज्य की समेकित निधि से निधि में हस्तांतरित किया जाता है।

2. बजट शीर्ष 0043-800-04 (विद्युत पर कर तथा शुल्क-अन्य प्राप्तियां)।

3.राज्य सरकार के लेखों में शीर्ष '8229-200-11' के अंतर्गत वर्गीकृत।

पिछले पांच वर्षों के दौरान उपकर के संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की वर्षवार स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

**तालिका 4.2: उपकर के संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | वर्ष | अहस्तांतरित राशि का प्रारंभिक शेष | वर्ष के दौरान संग्रहित उपकर | कुल | निधि में हस्तांतरित की गई राशि | अहस्तांतरित राशि का अंतिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-17 | 908.42 | 289.56 | 1,197.98 | 170.92 | 1,027.06 |
| 2 | 2017-18 | 1,027.06 | 217.51 | 1,244.57 | 289.56 | 955.01 |
| 3 | 2018-19 | 955.01 | 182.67 | 1,137.68 | 217.51 | 920.17 |
| 4 | 2019-20 | 920.47 | 268.84 | 1,189.31 | 182.67 | 1,006.64 |
| 5 | 2020-21 | 1,006.64 | 196.37 | 1,203.01 | 268.84 | 934.17 |

यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2021 तक राज्य की संचित निधि से निधि में हस्तांतरण के लिए ₹934.17 करोड़ की राशि लंबित थी।

आगे, 31 मार्च 2021 को राशि ₹234.47 करोड़ का अव्ययित शेष छोड़ते हुए वर्ष 2020-21 के दौरान निधि से ₹270.68 करोड़ का व्यय किया गया।

यह पूछे जाने पर कि क्या निधि से व्यय अधिनियम में अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, विभाग ने प्रत्युत्तर नहीं दिया (अक्टूबर 2021)।

### *4.1.3 राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि में अधिभार का कम हस्तांतरण*

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 (बी) के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 08.03.2016 से गौ एवं गौ-वंश के संरक्षण एवं संवर्धन (अधिभार) के लिए अधिभार प्रस्तावित किया था। आगे, गोपालन विभाग, राजस्थान सरकार ने नवम्बर 2016 में 'राजस्थान गौ संरक्षण और संवर्धन निधि' (निधि) का गठन किया और इस निधि के प्रशासन के लिए 'राजस्थान गौ संरक्षण और संवर्धन नियम, 2016 (नियम) जारी किये।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने राजस्थान मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अंतर्गत लगाए गए मूल्य वर्धित कर पर अधिभार लगाया, जिसकी आय का उपयोग भी गौ एवं गौ-वंश के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य के लिए किया जाना था।

नियमानुसार, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम[4] एवं राजस्थान मूल्य वर्धित कर अधिनियम[5] के अन्तर्गत उद्ग्रहित एवं संग्रहित अधिभार को पशुपालन के मुख्य शीर्ष[6] को नामे कर निधि[7] में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। इस निधि का मुख्य उद्देश्य गायों की सुरक्षा एवं विकास तथा गौशाला, घर एवं *कांजी हाउसेज* के लिए स्थाई संरचना का निर्माण करना था और एक प्रतिशत राशि का उपयोग गोपालन विभाग द्वारा प्रशासनिक व्यय के लिए किया जाना था।

अधिभार के संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की विगत पांच वर्षों की वर्षवार स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

4. शीर्ष 0030-02-800 (मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क-गैर-न्यायिक मुद्रांक-अन्य प्राप्तियां) के अंतर्गत ।

5. शीर्ष 0040-800 (बिक्री, व्यापार आदि पर कर-अन्य प्राप्तियां) के अंतर्गत ।

6. शीर्ष 2403-797 (पशुपालन-आरक्षित निधियों को हस्तांतरण) के अन्तर्गत ।

7. शीर्ष 8229-104-02 एवं 8229-104-03 के अन्तर्गत ।

**तालिका 4.3: अधिभार के संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | वर्ष | अहस्तांतरित राशि का प्रारंभिक शेष | प्राप्त अधिभार | कुल (3+4) | निधि में हस्तांतरित की गई राशि | अहस्तांतरित राशि का अंतिम शेष (5-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 2016-17 | 13.16 | 138.45 | 151.61 | 103.84 | 47.77 |
| 2. | 2017-18 | 47.77 | 257.98 | 305.75 | 173.68 | 132.07 |
| 3. | 2018-19* | 132.07 | 536.25 | 668.32 | 261.00 | 407.32 |
| 4. | 2019-20* | 407.32 | 718.02 | 1,125.34 | 490.50 | 634.84 |
| 5. | 2020-21* | 634.84 | 1,079.30 | 1,714.14 | 599.12 | 1,115.02 |

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

* प्राप्ति में वैट पर अधिभार भी शामिल है।

यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2021 तक ₹1,115.02 करोड़ की राशि राज्य की समेकित निधि से निधि में अंतरण हेतु लंबित थी। आगे, वर्ष के अंत में अहस्तांतरित राशि वर्ष 2016-17 से प्रत्येक वर्ष लगातार बढ़ी है।

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने अधिभार के रूप में ₹1,079.30 करोड़ संग्रहित किए और ₹599.12 करोड़ निधि में हस्तांतरित किए। इस प्रकार, राज्य सरकार ने नियमों का उल्लंघन करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निधि में ₹480.18 करोड़ का कम हस्तांतरण किया और अपनी देयता को भविष्य के वर्षों के लिए स्थगित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को कम करके दर्शाया गया।

गत पांच वर्षों के लिए राज्य की समेकित निधि से निधि को हस्तांतरित राशि और निधि से संवितरण की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

**तालिका 4.4: अधिभार के संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | वर्ष | निधि का प्रारम्भिक शेष | निधि में प्राप्ति | निधि की कुल राशि (3+4) | निधि से संवितरित राशि | निधि का अन्तिम शेष (5-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2016-17 | - | 103.84 | 103.84 | 92.22 | 11.62 |
| 2 | 2017-18 | 11.62 | 173.68 | 185.30 | 173.55 | 11.75 |
| 3 | 2018-19 | 11.75 | 261.00 | 272.75 | 240.57 | 32.18 |
| 4 | 2019-20 | 32.18 | 490.50 | 522.68 | 462.45 | 60.23 |
| 5 | 2020-21 | 60.23 | 599.12 | 659.35 | 574.01 | 85.34 |

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान 31 मार्च 2021 को ₹ 85.34 करोड़ की अव्ययित शेष राशि को छोड़कर निधि से ₹ 574.01 करोड़ की राशि संवितरित की गई थी।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 के वित्त लेखों के अनुसार, निधि का अव्ययित शेष ₹ 72.45 करोड़ था, जबकि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार निधि में अव्ययित शेष ₹ 85.34 करोड़ था, जो ₹12.88 करोड़ का विचलन दर्शाता है।

यह पूछे जाने (अक्टूबर 2021) पर कि क्या निधि से व्यय नियमों में अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, विभाग ने प्रत्युत्तर नहीं दिया।

### *4.1.4 राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण कोष में उपकर की राशि का कम हस्तांतरण*

उपरोक्त वर्णित आरक्षित निधियों के अलावा, राजस्थान सरकार ने राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण कोष भी बनाया है जिसे व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाते के रूप में संचालित किया जा रहा है।

भारत सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को तैयार और लागू करने के लिए भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 और भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (अधिनियम) जैसे कानून लागू किये। राज्य सरकारों द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु गठित बोर्डों के संसाधनों में वृद्धि के लिए अधिनियम की धारा 3, केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, अर्ध-सरकारी संगठनों एवं निजी नियोक्ताओं द्वारा किए जा रहे भवन या अन्य निर्माण कार्यों की निर्माण लागत के दो प्रतिशत से अधिक नहीं तथा एक प्रतिशत से कम नहीं की दर से उपकर (श्रम उपकर) लगाने का प्रावधान करती है।

अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु, राजस्थान सरकार ने राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2009 बनाये और राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) का गठन किया। उपकर राज्य की समेकित निधि[8] में संग्रहित किया जाता है। बोर्ड राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण कोष (निधि) का संचालन करता है। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम 1998 (नियम) की धारा 5(3) के अनुसार, एकत्रित उपकर की राशि को संग्रह के 30 दिनों के भीतर निधि में हस्तान्तरित करना आवश्यक है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान उपकर के संग्रहण और बोर्ड को इसके हस्तांतरण की वर्षवार स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

**तालिका 4.5: उपकर के संग्रहण और बोर्ड को हस्तांतरित राशि की स्थिति**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | वर्ष | अहस्तांतरित राशि का प्रारम्भिक शेष | वर्ष के दौरान संग्रहित उपकर | कुल (3+4) | बोर्ड को हस्तांतरित राशि | अहस्तांतरित राशि का अन्तिम शेष (5-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2016-17 | 322.45 | 342.69 | 665.14 | 322.70 | 342.44 |
| 2 | 2017-18 | 342.44 | 338.60 | 681.04 | 342.69 | 338.35 |
| 3 | 2018-19 | 338.35 | 382.59 | 720.94 | 338.60 | 382.34 |
| 4 | 2019-20 | 382.34 | 412.82 | 795.16 | 382.59 | 412.57 |
| 5 | 2020-21 | 412.57 | 367.55 | 780.12 | 412.82* | 367.30 |

* पीडी खाते में हस्तान्तरित किए बिना विभाग द्वारा सीधे खर्च की गई ₹ 55.26 करोड़ की राशि शामिल है।

तालिका से यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2021 तक ₹367.30 करोड़ की राशि राज्य की समेकित निधि से निधि में अंतरण के लिए लंबित थी।

8. मुख्य शीर्ष 'श्रम एवं रोजगार' (0230-800-06) के अन्तर्गत।

इस संबंध में, जन लेखा समिति (पीएसी) ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011-12 पर वर्ष 2015-16 के 85वें प्रतिवेदन के अनुच्छेद 2.5 द्वारा भी नियमों के प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करने और संग्रहित राशि को समय से बोर्ड को हस्तांतरित करने की अनुशंसा की। पीएसी की अनुशंसाओं की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु शासन सचिव ने वित्त विभाग के अनुमोदन से संग्रहित उपकर का महालेखाकार कार्यालय के साथ मासिक मिलान और संग्रहित उपकर राशि को मासिक रूप से बोर्ड के पीडी खातों में जमा करने हेतु निर्देशित किया (अगस्त 2016) । तथापि, विभाग ने बताया (सितम्बर 2021) कि संग्रहित राशि को वार्षिक रूप से बोर्ड को हस्तांतरित किया जा रहा था।

आगे, विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना की संवीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त नियम प्रावधानों एवं पीएसी की अनुशंसाओं का पालन नहीं किया जा रहा था तथा संग्रहित उपकर की राशि असामान्य विलम्ब से बोर्ड को हस्तांतरित की जा रही थी । वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹412.82 करोड़ और ₹367.55 करोड़ प्राप्ति की दिनांक से तीन से 20 महीने की देरी के साथ बोर्ड को हस्तांतरित किए गए। गत दो वर्षों के लिए उपकर संग्रह की मासिक प्राप्ति का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

**तालिका 4.6: विगत दो वर्षों के लिए उपकर संग्रह की मासिक प्राप्ति**

(राशि ₹ में)

| अवधि | प्राप्ति शीर्ष में प्राप्त राशि | बोर्ड में हस्तांतरण के लिए नियत माह (प्राप्ति के 30 दिन बाद) | राशि के हस्तांतरण का वास्तविक माह | देरी (महीनों में) |
|---|---|---|---|---|
| अप्रैल-19 | 43,65,03,575.5 | मई-19 | फरवरी-21 | 20 |
| मई-19 | 37,64,30,489.2 | जून-19 | फरवरी-21 | 19 |
| जून-19 | 30,26,84,994.1 | जुलाई-19 | फरवरी-21 | 18 |
| जुलाई-19 | 28,96,42,317.9 | अगस्त-19 | फरवरी-21 | 17 |
| अगस्त-19 | 41,61,12,896.3 | सितम्बर-19 | फरवरी-21 | 16 |
| सितम्बर-19 | 34,42,12,757.9 | अक्टूबर-19 | फरवरी-21 | 15 |
| अक्टूबर-19 | 40,18,24,419.0 | नवम्बर-19 | फरवरी-21 | 14 |
| नवम्बर-19 | 35,14,39,788.7 | दिसम्बर-19 | फरवरी-21 | 13 |
| दिसम्बर-19 | 19,97,25,160.6 | जनवरी-20 | फरवरी-21 | 12 |
| जनवरी-20 | 29,27,85,545.4 | फरवरी-20 | फरवरी-21 | 11 |
| फरवरी-20 | 31,62,81,830.5 | मार्च-20 | फरवरी-21 | 10 |
| मार्च-20 | 39,98,84,566.4 | अप्रैल-20 | फरवरी-21 | 9 |
| अंतरण प्रविष्टि | 6,57,574.0 | | | |
| **योग (2019-20)** | **4,12,81,85,915.50** | | | |
| अप्रैल-20 | 9,51,10,561 | मई-20 | अगस्त-21 | 14 |
| मई-20 | 9,81,24,208 | जून-20 | अगस्त-21 | 13 |
| जून-20 | 27,06,82,993 | जुलाई-20 | अगस्त-21 | 12 |
| जुलाई-20 | 33,37,81,766 | अगस्त-20 | अगस्त-21 | 11 |
| अगस्त-20 | 33,13,18,003 | सितम्बर-20 | अगस्त-21 | 10 |
| सितम्बर-20 | 30,04,67,560 | अक्टूबर-20 | अगस्त-21 | 9 |
| अक्टूबर-20 | 26,76,97,111 | नवम्बर 20 | अगस्त-21 | 8 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| नवम्बर-20 | 28,27,19,500 | दिसम्बर-20 | अगस्त-21 | 7 |
| दिसम्बर-20 | 34,10,43,899 | जनवरी-21 | अगस्त-21 | 6 |
| जनवरी-21 | 41,64,44,350 | फरवरी-21 | अगस्त-21 | 5 |
| फरवरी-21 | 32,45,70,360 | मार्च-21 | अगस्त-21 | 4 |
| मार्च-21 | 61,02,16,989 | अप्रैल-21 | अगस्त-21 | 3 |
| अंतरण प्रविष्टि | 33,35,103 | | | |
| **योग (2020-21)** | **3,67,55,12,403** | | | |

इस प्रकार, विभाग नियम, प्रावधानों और पीएसी के निर्देशों की पालना करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप निधि के हस्तान्तरण एवं बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए निधि के उपयोग में देरी हुई।

***आरक्षित निधि/जमा निधि में उपकर/अधिभार की अहस्तांतरित राशि इंगित करती है कि राज्य सरकार का राजस्व/राजकोषीय घाटा अहस्तांतरित राशि की सीमा तक कम बताया गया है और राज्य सरकार की बकाया देयता को दर्शाता है।***

## *4.2 राज्य सरकार के ऋणों को समेकित निधि में जमा नहीं किया जाना*

### *4.2.1 राज्य सरकार की बजट से इतर उधार एवं आकस्मिक देनदारियों में वृद्धि*

राज्य सरकारें भारत की सीमा के भीतर राज्य की समेकित निधि की प्रत्याभूति पर धन उधार ले सकती हैं और ऐसी उधार की सीमा भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अंतर्गत विनियमित होती है । इन उधारों के अतिरिक्त राज्य सरकार विभिन्न राज्य योजनागत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जिला परिषदों/कंपनियों/निगमों द्वारा बाजार/वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की प्रत्याभूति भी देती है, जो राज्य के बजट के बाहर परिलक्षित होते हैं। इन कार्यक्रमों के लिए जुटाई गई निधियां इन जिला परिषदों/कंपनियों/निगमों द्वारा जुटाए गए संसाधनों से चुकायी जानी थी। यद्यपि, वास्तव में इनके द्वारा लिया गया उधार सरकार द्वारा चुकाया जाता है और अंततः राज्य सरकार की देनदारियों में बदल जाता है। तदनुसार, इन्हें बजट से इतर उधार कहा जा सकता है क्योंकि ये उधार बजट में शामिल नहीं हैं और विधायी नियंत्रण से बाहर हैं । राजस्थान में ऐसा एक मामला देखा गया, जिसको नीचे विवेचित किया गया है:

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2021) कि वर्ष 2011-12 से राज्य सरकार ने जिला परिषदों द्वारा मुख्यमंत्री गरीबी रेखा से नीचे (सीएमबीपीएल) आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) परिवारों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु शहरी आवास विकास निगम (हुडको) से प्राप्त ऋण राशि ₹3,948.66 करोड़ के ऋण के संबंध में प्रत्याभूति दी थी जिसमें से जिला परिषदों ने 2020-21 तक 3,624.48 करोड़[9] रुपये की कुल गारंटी का लाभ उठाया था। राज्य सरकार इन ऋणों के पेटे मूलधन और ब्याज का भुगतान करती रही है। लेखापरीक्षा

9. 2011-12: ₹945.37 करोड़, 2012-13: ₹840.19 करोड़, 2013-14: ₹958.51 करोड़, 2014-15: ₹600.64 करोड़, 2015-16: ₹160.52 करोड़, 2016-17: ₹61.34 करोड़, 2017-18: ₹6.34 करोड़, 2018-19: ₹1.16 करोड़, 2019-20: 'शून्य' एवं 2020-21: ₹50.41 करोड़ ।

संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि 2020-21 के दौरान, राजस्थान सरकार द्वारा ₹282.01 करोड़ (मूलधन के रूप में ₹147.54 करोड़ और ब्याज के रूप में ₹134.47 करोड़) 31 जिला परिषदों के पीडी खातों में, उनके द्वारा सीएमबीपीएल आवास योजना के लिए हुडको से लिये गए ऋणों पर मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिए हस्तांतरित किए गए थे।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राजस्थान सरकार द्वारा ₹1,901.54 करोड़ के प्रारम्भिक बकाया शेष में ₹50.41 करोड़ की प्रत्याभूति जोड़ने और ₹147.54 करोड़ की प्रत्याभूति का समायोजन करने के बाद वर्ष 2020-21 के अंत में ₹1,804.41 करोड़ की प्रत्याभूति शेष रही। वित्त विभाग ने अवगत कराया (दिसम्बर 2021) कि राज्य सरकार ने जिला परिषदों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण इन ऋणों के मूलधन एवं ब्याज का पुनर्भुगतान करने के लिए अनुदान दिया।

यह इंगित करता है कि राज्य सरकार अपने योजनागत व्यय को पूरा करने के लिए बजट से इतर उधार का सहारा ले रही है।

**तालिका 4.7: बजट से इतर उधारों की प्रवृत्ति**

(₹ **करोड़ में**)

| क्र. सं. | वर्ष | राशि | जीएसडीपी | जीएसडीपी का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018-19 | 2,137.42 | 9,21,789 | 0.23 |
| 2. | 2019-20 | 2,901.54 | 9,98,999 | 0.29 |
| 3. | 2020-21 | 1,804.41 | 9,57,912 | 0.19 |

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, मार्च 2021 के अंत में बकाया बजट से इतर उधार जीएसडीपी का 0.19 प्रतिशत (₹ 9,57,912 करोड़) है जो कि मार्च 2020 के अंत में जीएसडीपी (₹ 9,98,999 करोड़) के 0.29 प्रतिशत की तुलना में कम है। यदि वर्ष के दौरान ₹50.41 करोड़ के बजट से इतर उधार को शामिल किया जाता है तो राजकोषीय घाटा ₹ 59,376 करोड़ से बढ़कर ₹ 59,426 करोड़ हो जाता है जैसा कि **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है।

इस राशि के अलावा, कोई अन्य बजट से इतर उधार जो राजकोषीय घाटे को प्रभावित करेगा, को सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार ने पुनर्भुगतान देयता का खुलासा नहीं किया था। यह भी उल्लेख करना उचित है कि राजस्थान सरकार ने सभी बजट से इतर उधारों की पहचान करने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया है।

## *4.3 स्थानीय निधियों की जमा*

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 64 प्रावधित करती है कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत क्रमशः जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि और ग्राम पंचायत निधि (मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा-109-पंचायत निकाय निधियां) को संधारित करेंगे, जिसमें अधिनियम के तहत वसूल हुई या वसूली योग्य सभी राशि और पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धन राशि शामिल होंगी, जैसे केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग के हिस्से के रूप में प्राप्त अनुदान और उनका स्व-राजस्व जिसमें पंचायतों की कर और गैर-कर प्राप्तियां शामिल हैं। इसी प्रकार, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 79 यह परिकल्पित करती है कि नगरपालिका निधि को नगरपालिका द्वारा धारित किया जाता है। इस अधिनियम के तहत

वसूल की गई या वसूली योग्य सभी धनराशियां और नगर पालिका द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धनराशि मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा-102-नगरपालिका निधि के तहत नगरपालिका निधि में रखी जाती हैं।

31 मार्च, 2021 को पंचायती राज संस्थाओं की स्थानीय निधियों और नगरपालिका निधि में जमाओं की गत पाँच वर्षों की स्थिति नीचे **तालिका 4.8** में दी गई है:

**तालिका 4.8: स्थानीय निधियों की जमा**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | वर्ष | जिला परिषद निधि (8448-109-03) | | | | पंचायत समिति निधि (8448-109-02) | | | | वर्ष के अन्त में कुल अन्तिम शेष | नगरपालिका निधि (8448-102) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रारम्भिक शेष | प्राप्तियाँ | व्यय | अन्तिम शेष | प्रारम्भिक शेष | प्राप्तियाँ | व्यय | अन्तिम शेष | | प्रारम्भिक शेष | प्राप्तियाँ | व्यय | अन्तिम शेष |
| 1. | 2015-16 | 1,436.20 | 4,412.58 | 3,879.91 | 1,968.87 | 893.1 | 1,091.19 | 967.73 | 1,016.56 | 2,985.43 | 616.93 | 2,217.67 | 1,903.89 | 930.71 |
| 2. | 2016-17 | 1,968.87 | 3,044.50 | 3,330.05 | 1,683.32 | 1,016.56 | 1,546.68 | 1,283.19 | 1,280.05 | 2,963.37 | 930.71 | 2,647.54 | 2,160.13 | 1,418.12 |
| 3. | 2017-18 | 1,683.32 | 2,220.82 | 2,032.13 | 1,872.01 | 1,280.05 | 1,599.99 | 1,430.26 | 1,449.78 | 3,321.79 | 1,418.12 | 2,351.12 | 2,117.23 | 1,652.01 |
| 4. | 2018-19 | 1,872.01 | 1,781.83 | 2,144.98 | 1,508.86 | 1,449.78 | 1,776.44 | 1,762.27 | 1,463.95 | 2,972.81 | 1,652.01 | 2,527.25 | 2,775.08 | 1,404.17 |
| 5. | 2019-20 | 1,508.86 | 1,198.28 | 1,407.07 | 1,300.07 | 1,463.95 | 3,205.03 | 3,496.43 | 1,172.55 | 2,472.62 | 1,404.17 | 2,874.08 | 2,835.52 | 1,442.73 |
| 6. | 2020-21 | 1,300.07 | 1,318.54 | 1,128.13 | 1,490.48 | 1,172.55 | 1,797.45 | 1,545.79 | 1,424.21 | 2,914.69 | 1,442.73 | 4,591.66 | 3,614.48 | 2,419.91 |

यह देखा गया कि 2015-21 के दौरान जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि एवं नगरपालिका निधि में उल्लेखनीय शेष था। वर्ष 2020-21 के दौरान इन निधियों में क्रमशः ₹1,490.48 करोड़, ₹1,424.21 करोड़ और ₹2,419.91 करोड़ अन्तिम शेष थे।

ग्राम पंचायतें निकटतम अनुसूचित बैंक की शाखा में भी खाते रखती हैं । ग्राम पंचायतों के इन खातों में शेष अप्रयुक्त निधियों की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि इन विवरणों को न तो पंचायत समिति या जिला परिषद के स्तर पर संकलित किया गया था और न ही कोषालय लेखों में उपलब्ध कराया गया था।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अवगत कराया (फरवरी 2021) कि लेखापरीक्षा आक्षेपों की अनुपालना में पंचायत समिति या जिला परिषद स्तर पर ग्राम पंचायत लेखों में अप्रयुक्त निधियों के विवरण के संकलन हेतु पुनः निर्देश जारी किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग ने बजट परिपत्र (सितंबर 2020) के माध्यम से निर्देश दिये कि आईएफएमएस के पे-मैनेजर मॉड्यूल में सभी पीडी खातों की जानकारी नियंत्रण अधिकारी को अग्रेत्तर जांच/सत्यापित करने हेतु उपलब्ध करायी जाये और निष्क्रिय बैंक खातों को बंद किया जाए। तथापि, मांगे जाने पर भी इन आदेशों के अनुपालन की स्थिति विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई (दिसम्बर 2021)।

## *4.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब*

सामान्य वित्तीय और लेखा नियम (जी एफ एंड ए आर), 2012 के नियम 284 एवं 286 में प्रावधित है कि एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राही से प्राप्त किए जाने चाहिए और सत्यापन के बाद उनकी स्वीकृति की दिनांक

से एक वर्ष के भीतर जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, महालेखाकार (लेखा एवं हक) को प्रेषित किये जाने चाहिये। इसी तरह, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रदान की गई निधियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, जहां अनुदान विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया हो।

वर्ष 2019-20 के दौरान, राजस्थान सरकार ने ₹41,024.82 करोड़[10] का सहायतार्थ अनुदान जारी किया, जिसमें से ₹30,686.40 करोड़ कार्यात्मक शीर्ष 12 (सहायतार्थ अनुदान गैर-वेतन) के तहत तथा ₹5,197.63 करोड़ कार्यात्मक शीर्ष 93-'पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान' के अंतर्गत जारी किये।

जून 2021 तक, विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष 2010-11 से 2019-20 से सम्बंधित ₹2,113.45 करोड़ के 837 उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा एवं हक) के कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गए, जैसा कि **तालिका 4.9** में उल्लेखित है। कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से, 559 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की राशि ₹1,300.07 करोड़ पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान से संबंधित थी। कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के आयुवार लंबित रहने को नीचे तालिका में सारांशीकृत किया गया है:

**तालिका 4.9: आयु-वार बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | वर्ष | प्रारम्भिक शेष | | वर्ष के दौरान वृद्धि | | वर्ष के दौरान निस्तारण | | प्रस्तुतिकरण के लिए बकाया | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| 1. | 2017-18 | 62 | 2.34 | 308 | 51.32 | 175 | 47.69 | 195 | 5.98 |
| 2. | 2018-19 | 195 | 5.98 | 808 | 970.43 | 233 | 35.80 | 770 | 940.61 |
| 3. | 2019-20 | 770 | 940.61 | 1,364 | 2,392.01 | 1297 | 1219.17 | 837 | 2113.45 |

स्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा संकलित सूचना

**तालिका 4.10: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्षवार ब्योरा**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | वर्ष | उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | 2010-11 | 5 | 0.03 |
| 2. | 2011-12 | 5 | 0.04 |
| 3. | 2012-13 | 7 | 0.11 |
| 4. | 2013-14 | 8 | 0.06 |
| 5. | 2014-15 | 3 | 0.01 |
| 6. | 2017-18 | 111 | 2.90 |
| 7. | 2018-19 | 87 | 331.62 |
| 8. | 2019-20 | 611 | 1,778.68 |
| | **योग** | **837** | **2,113.45** |

स्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा संकलित सूचना

10. सामान्य उद्देश्य के लिय जारी अनुदान के अलावा जैसे कि वेतन एवं स्थापना और राज्य निधि या केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत योजना के लिए व्यय (₹ 5,132.98 करोड़), जिनके लिए जी एफ एंड ए आर के नियम 285 (4) के अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। आगे, राशि ₹ 7.81 करोड़ लघु शीर्ष-191 (₹ 2.36 करोड़), लघु शीर्ष-192 (₹ 5.35 करोड़) और लघु शीर्ष-196 (₹ 0.10 करोड़) के अंतर्गत वर्गीकृत की गई।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जून 2021 तक लम्बित 837 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से 282 उपयोगिता प्रमाण-पत्र अगस्त 2021 तक विभिन्न विभागों से प्राप्त हो चुके हैं।

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की राशि का लगभग 94.59 प्रतिशत मुख्य रूप से परिवार कल्याण विभाग (98 उपयोगिता प्रमाण-पत्रः ₹1,250.06 करोड़), शिक्षा विभाग (34 उपयोगिता प्रमाण-पत्रः ₹172.43 करोड़), चिकित्सा शिक्षा विभाग (19 उपयोगिता प्रमाण-पत्रः ₹156.62 करोड़), स्थानीय निकाय विभाग (47 उपयोगिता प्रमाण-पत्रः ₹ 118.47 करोड़ और पंचायती राज विभाग (140 उपयोगिता प्रमाण-पत्रः ₹72.98 करोड़) से सम्बन्धित थी। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विभागवार विवरण नीचे **तालिका 4.11** में सारांशीकृत किया गया है और **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया हैः

**तालिका 4.11: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की विभागवार स्थिति**

(**₹ करोड़ में**)

| क्र. सं. | विभाग का नाम | उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | परिवार कल्याण | 98 | 1,250.06 |
| 2. | शिक्षा | 34 | 172.43 |
| 3. | चिकित्सा शिक्षा | 19 | 156.62 |
| 4. | स्थानीय निकाय | 47 | 118.47 |
| 5. | पंचायती राज | 140 | 72.98 |
| 6. | आयुर्वेद | 6 | 33.50 |
| 7. | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य | 3 | 32.90 |
| 8. | खेल-कूद | 7 | 14.77 |
| 9. | आयुक्त, मिड-डे-मील | 4 | 7.91 |
| 10. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 156 | 3.77 |
| 11. | वन | 9 | 3.25 |
| 12. | अल्पसंख्यक | 2 | 2.59 |
| 13. | कला एवं संस्कृति | 29 | 2.57 |
| 14. | विशेष योग्य जन निदेशालय | 1 | 0.01 |
| | **योग** | **555** | **1,871.83** |

स्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा संकलित सूचना

**चार्ट 4.1: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र**

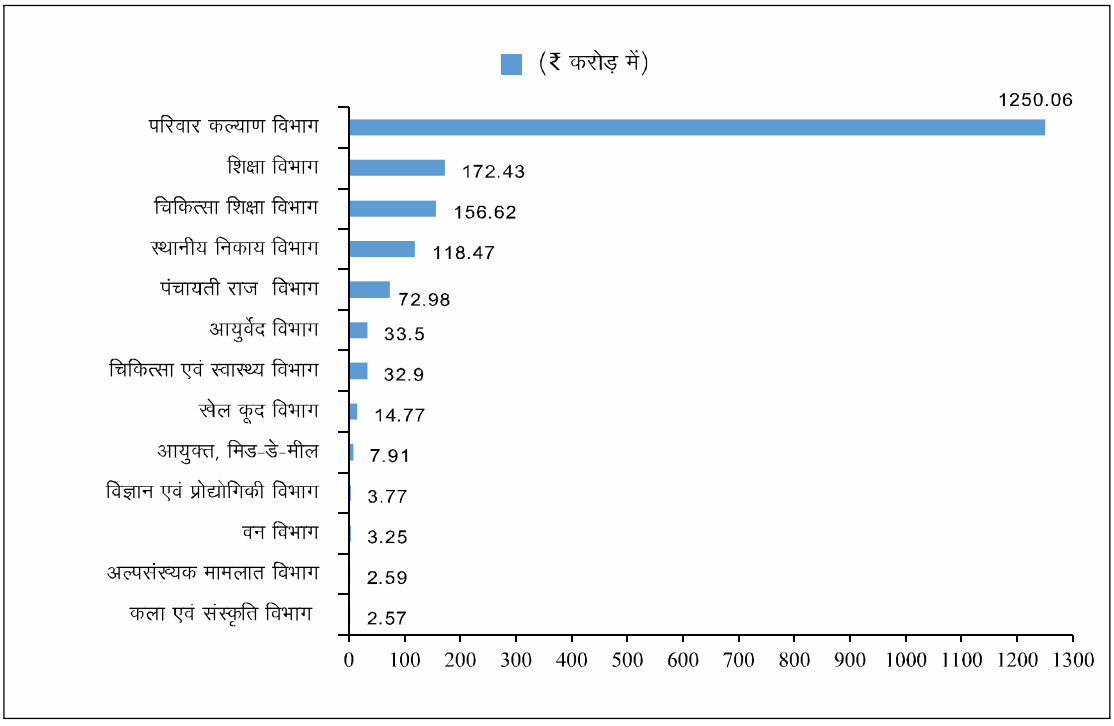


कॉलेज शिक्षा विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि अधीनस्थ कार्यालयों से बकाया राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

वन विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि राज्यांश देरी से जारी होने के कारण वर्ष 2018-19 के लिए दिया गया अनुदान (₹3.25 करोड़) व्यय नहीं किया जा सका। वर्ष 2019-20 में राशि ₹1.38 करोड़ व्यय की गई और उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेजा गया। विभाग ने आगे अवगत कराया कि शेष राशि के उपयोग के बाद बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेज दिए जाएंगे।

आयुर्वेद निदेशालय ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि स्वीकृत राशि ₹33.50 करोड़ (वर्ष 2019-20 में ₹ 33.13 करोड़ और 2018-19 में ₹ 0.37 करोड़) दिनांक 31.03.2020 को विभाग के पीडी खाते में जमा की गई। इसे वर्ष 2020-21 में कार्यकारी एजेंसियों को हस्तान्तरित किया गया। हस्तांतरित राशि कार्यकारी एजेंसियों द्वारा व्यय की जा रही है और तदनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेज दिए जाएंगे।

विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, उपरोक्त बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अलावा, निम्नलिखित विभागों/स्वायत्त निकायों को वर्ष 2011-12 से 2019-20 की अवधि के दौरान ₹ 950.99 करोड़ का सहायतार्थ अनुदान प्राप्त हुआ, जिसमें से ₹ 602.44 करोड़ (63.35 प्रतिशत) का व्यय हुआ था। हांलाकि, सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को केवल राशि ₹ 550.75 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की विभाग/स्वायत्त निकायवार स्थिति को नीचे **तालिका 4.12** में सरांशीकृत किया गया है:

**तालिका 4.12: विभाग/स्वायत्त निकायों के बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विवरण**

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विभाग/स्वायत्त निकाय का नाम | सहायता अनुदान जारी करने का वर्ष | जारी सहायता अनुदान | व्यय | विभाग द्वारा भेजे गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र | बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (5-6) | अप्रयुक्त सहायता अनुदान (4-5) | कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (7+8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | जनजाति क्षेत्रीय विकास | 2014-15 से 2019-20 | 707.17 | 399.79 | 399.79 | 0 | 307.38 | 307.38 |
| 2. | राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय | 2019-20 | 47.66 | 35.03 | 0 | 35.03 | 12.63 | 47.66 |
| 3. | राजस्थान अनु.जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. | 2014-15 से 2019-20 | 192.78 | 165.16 | 150.07 | 15.09 | 27.62 | 42.71 |
| 4. | राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड | 2011-12 से 2017-18 | 3.38 | 2.46 | 0.89 | 1.57 | 0.92 | 2.49 |
| | **योग** | | **950.99** | **602.44** | **550.75** | **51.69** | **348.55** | **400.24** |

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष 2011-12 से 2019-20 के दौरान इन स्वायत्त निकायों/विभागों को जारी ₹ 950.99 करोड़ के सहायतार्थ अनुदान में से अभी तक ₹ 348.55 करोड़ (36.65 प्रतिशत) व्यय किया जाना शेष था। आगे, ₹ 1,871.83 करोड़ के बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाण पत्रों के अलावा ₹ 400.24 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र (₹ 348.55 करोड़ की अप्रयुक्त निधि और ₹ 51.69 करोड़ के बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र) भी बकाया थे।

यह सूचना महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं थी क्योंकि विभागों ने जी एफ एंड ए आर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन कर स्वीकृतियों एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के संबंध में आवश्यक सूचना महालेखाकार (लेखा एवं हक) को उपलब्ध नहीं करायी थी। बकाया रहना, अपर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग को भी दर्शाता है क्योंकि कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रदान की गई अनुदान की अधिकांश राशि विभाग/स्वायत्त निकायों के पास रखी है।

निर्दिष्ट अवधि के बाद बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र न केवल वित्तीय जवाबदेही तंत्र को कमजोर करते हैं बल्कि विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित उद्देश्य के लिए अनुदान का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने में विफलता का संकेत देते हैं। वित्त विभाग ने अवगत कराया (दिसम्बर 2021) कि निदेशक, निरीक्षण विभाग ने सभी सम्बंधित विभागों को शीघ्रता से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश जारी कर दिये हैं।

### *4.4.1 अनुदानग्राही संस्था को 'अन्य' के रूप में दर्ज करना*

सहायतार्थ अनुदान एक सरकारी निकाय/संस्थान/व्यक्ति द्वारा किसी अन्य सरकारी निकाय/ संस्था/व्यक्ति को दी गई सहायता, दान या योगदान की प्रकृति का भुगतान है। राजस्थान में, राज्य सरकार द्वारा सहायतार्थ

अनुदान को तीन कार्यात्मक शीर्षों में विभाजित किया गया है (i) 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर-वेतन); (ii) 92-सहायतार्थ अनुदान (वेतन) और (iii) 93-पूंजीगत संपत्तियों के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान।

लेखापरीक्षा और लेखा विनियम 2020 के विनियम 88 प्रावधान करता है कि सरकार और विभागों के प्रमुख जो निकायों या प्राधिकारियों को अनुदान और/या ऋण स्वीकृत करते हैं, ऐसे निकाय और प्राधिकारी जिन्हें अनुदान और/या ऋण ₹10 लाख या उससे अधिक का भुगतान पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किया गया था, का एक विवरण (अ) सहायता की राशि (ब) उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गई थी; और (स) निकाय या प्राधिकारी का कुल व्यय दर्शाते हुए सम्बंधित महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय को प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत तक प्रस्तुत करेंगे।

राजस्थान सरकार के वित्त लेखे 2020-21 के अनुसार, सहायतार्थ अनुदान राज्य के कुल व्यय का 20.5 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल सहायतार्थ अनुदान ₹39,744.98 करोड़ में से, ₹12,431.88 करोड़ (31.28 प्रतिशत) की राशि 'अन्य' प्रकार के अनुदानग्राही संस्थानों को संवितरित की गयी, जहां 'अन्य' का अर्थ विभिन्न सरकारी विभागों से है, जैसा कि नीचे **तालिका 4.13** में दिया गया है:

**तालिका 4.13: संस्थानों को वित्तीय सहायता**

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं | संस्थानों को वित्तीय सहायता | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, गैर सरकारी संगठन, स्वायत्त निकाय, सहकारी समिति और संस्थान और सांविधिक निकाय और विकास प्राधिकरण | 21,142.87 | 25,223.22 | 24,837.17 | 30,802.52 | 27,312.80 |
| 2. | अन्य | 11,749.33 | 9,761.88 | 10,025.04 | 10,222.30 | 12,431.88 |
| | कुल अनुदान | **32,892.20** | **34,985.10** | **34,862.21** | **41,024.82** | **39,744.68** |
| | कुल अनुदान से 'अन्य' का प्रतिशत | **35.72** | **27.90** | **28.76** | **24.92** | **31.28** |
| 3. | राज्य का कुल व्यय | **1,57,085** | **1,67,799** | **1,87,524** | **1,93,458** | **1,94,071** |
| 4. | राज्य के कुल व्यय से कुल अनुदान का प्रतिशत | 20.94 | 20.85 | 18.59 | 21.21 | 20.48 |

स्रोतः वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान कुल अनुदान की कुल व्यय से प्रतिशतता 18.59 प्रतिशत से 21.21 प्रतिशत के बीच थी तथा 'अन्य' को दिया गया अनुदान कुल सहायतार्थ अनुदान के 24.92 प्रतिशत से 35.72 प्रतिशत के बीच था।

इसलिए, 'अन्य' प्रकार के संस्थानों के लिए सहायतार्थ अनुदान, राज्य के कुल अनुदान और कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुदानग्राही संस्थान के उपयुक्त लेखांकन के अभाव में वित्तीय रिपोर्टिंग/लेखों की पारदर्शिता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

## *4.5 सारांशीकृत आकस्मिक बिल*

### *सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में अनियमितता*

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 219 के अनुसार, सेवा शीर्षों को नामे कर सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिल तैयार करके राशि आहरित करने के लिए नियंत्रण और संवितरण अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। उन्हें विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल (अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर) कोषागार के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं हक़) को प्रस्तुत करना होता है। आगे नियम 220(1) एसी बिलों के आहरण से तीन महीने[11] की अवधि के भीतर डीसी बिलों को प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि राज्य सरकार ने 30 जून 2021 को राशि ₹31.37 करोड़ के 117 बिलों के संबंध में डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किए। बकाया डीसी बिलों का वर्षवार विवरण निम्नलिखित **तालिका 4.14** में दिया गया है:

**तालिका 4.14: डीसी बिलों का बकाया प्रस्तुतीकरण**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | वर्ष | बकाया डीसी बिल | डीसी बिल की राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | 2018-19 तक | 17 | 16.13 |
| 2. | 2019-20 | 7 | 0.29 |
| 3. | 2020-21 | 93 | 14.95 |
| | **योग** | **117** | **31.37** |

स्रोत: वित्त लेखे एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा संकलित सूचना

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार जून 2021 तक लम्बित 117 डीसी बिलों में से विभिन्न विभागों से अगस्त 2021 तक 69 डीसी बिल प्राप्त हो चुके हैं। बकाया 48 डीसी बिलों का आयु-वार विवरण निम्नलिखित **तालिका 4.15** में दिया गया है:

**तालिका 4.15: बकाया डीसी बिलों की आयु-वार स्थिति**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | आयु | बकाया डीसी बिलों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | 20 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य | 5 | 0.01 |
| 2. | 11 वर्ष से 15 वर्ष के मध्य | 1 | 2.92 |
| 3. | 5 वर्ष से 10 वर्ष के मध्य | 1 | 1.04 |
| 4. | 1 वर्ष से 5 वर्ष के मध्य | 10 | 5.12 |
| 5. | 0 वर्ष से 1 वर्ष के मध्य | 31 | 9.51 |
| | **योग** | **48** | **18.60** |

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कि राशि ₹ 2.93 करोड़ की राशि के छह बिल 11 से 30 वर्षों से लम्बित थे और राशि ₹ 6.16 करोड़ की राशि के 11 बिल एक से 10 वर्षों से लम्बित थे।

11. सिवाय विदेशों से मशीनरी/उपकरण और अन्य सामान सास्य पत्र द्वारा क्रय के प्रकरणों में, जहाँ डीसी बिल सक्षम अधिकारी को एसी बिल आहरित किये जाने के छः महीने में प्रस्तुत किये जायेंगे।

अगस्त 2021 तक की अवधि के लिए बकाया एसी बिलों के साथ-साथ बकाया राशि का मुख्य शीर्षवार विवरण निम्नलिखित **चार्ट 4.2** में प्रस्तुत किया गया है और ***परिशिष्ट 4.1*** में विस्तृत है।

**चार्ट 4.2: बकाया डीसी बिलों की विभागवार स्थिति**

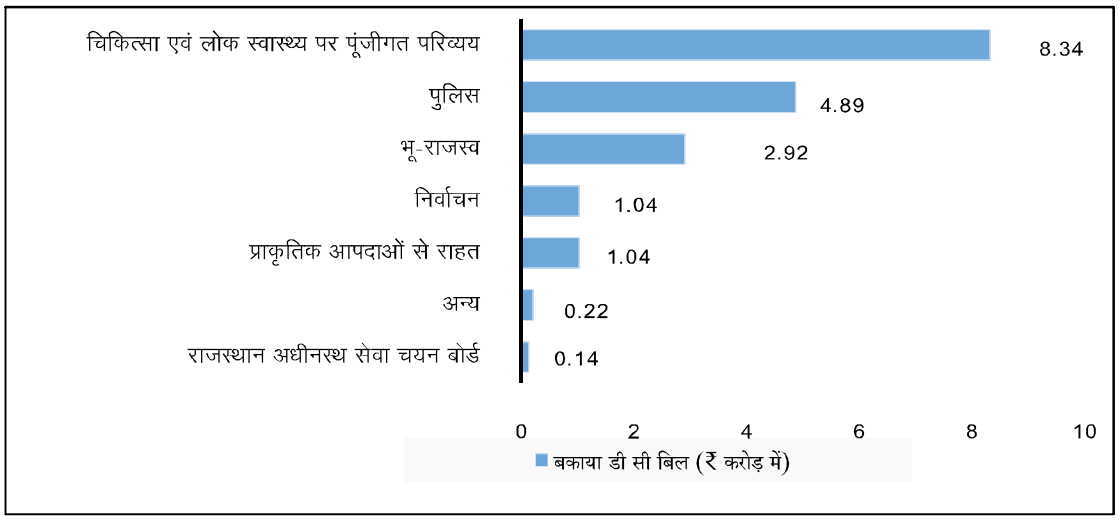


### (i) *डीसी बिल प्रस्तुत नहीं करना*

मार्च 2020 तक आहरित किए गए 12 एसी बिल, जो 1 से 30 वर्ष की अवधि के समाप्त होने के बावजूद असमायोजित रहे, का विवरण निम्नलिखित **तालिका 4.16** में दिया गया है।

**तालिका 4.16: डीसी बिल प्रस्तुत नहीं करना**

**(₹ लाखों में)**

| क्र. सं. | कार्यालय का नाम | मुख्य शीर्ष | एसी बिल संख्या एवं दिनांक | राशि | विभाग द्वारा बताये गए विलम्ब के कारण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | निदेशक, राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर | 2055 | 421/28.3.2018 | 66.50 | अधिकांश उपकरण खरीदे जा चुके हैं। कुछ उपकरणों के लिए उच्च दर की प्राप्ति, तकनीकी बोली की अयोग्यता आदि जैसे कारणों से शेष डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किए जा सके। |
| | | | 285/13.3.2019 | 261.40 | |
| | | | 286/13.3.2019 | 161.97 | |
| 2. | निदेशक, एनसीसी, जयपुर | 2204 | 77/21.12.2018 | 2.64 | डीसी बिल कोषालय को प्रस्तुत कर दिया गया। |
| | | | 70/10.12.2019 | 10.00 | विभाग द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया (दिसम्बर 2021)। |
| | | | 80/28.11.2019 | 0.29 | |
| | | | 59/25.5.2019 | 0.08 | |
| 3. | सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर | 2051 | 299/6.10.2016 | 2.00 | कार्मिक विभाग द्वारा अप्रचलित करेंसी नोटों को बैंक में समय पर जमा न करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिये गए है। |
| 4. | राजस्व मण्डल, अजमेर | 2029 | 183/5.03.2008 | 292.18 | विभाग द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया (दिसम्बर 2021)। |

| क्र. सं. | कार्यालय का नाम | मुख्य शीर्ष | एसी बिल संख्या एवं दिनांक | राशि | विभाग द्वारा बताये गए विलम्ब के कारण |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | सचिव, जीएडी (ग्रुप-4) सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर | 2052 | 473/24.01.2020 | 1.50 | विभाग द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया (दिसम्बर 2021)। |
| 6. | आयुक्त राहत एवं आपदा प्रबंधन, जयपुर | 2245 | 813/19.03.2013 | 103.50 | पीडीआर अधिनियम के तहत उप खण्ड अधिकारी, राजगढ़ के स्तर पर वसूली की कार्रवाई लम्बित है। |
| 7. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर | 2217 | 22/11.11.2019 | 6.00 | सम्बंधित कार्यकारी अधिकारी द्वारा बकाया डीसी बिलों को प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। |

आगे, प्राथमिक शिक्षा (जालौर एवं बीकानेर), प्रौढ़ शिक्षा, राजसमंद एवं जिला परिषद, बाड़मेर से संबंधित शेष पांच बिल 1 से 30 वर्ष तक, विभाग में इन बिलों के अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण अभी भी लंबित हैं। इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार/नियंत्रक अधिकारी/संवितरण अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) के साथ समन्वय स्थापित कर सकते हैं।

पिछले वर्षों के लंबित डीसी बिलों की तुलना से पता चलता है कि इस संबंध में सुधार हुआ है। हालांकि, गबन, विमुद्रीकरण, राशि की वसूली और उपकरणों की खरीद में समायोजन प्रक्रिया से संबंधित कुछ बिल विगत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किए जाने के बाद भी लंबित है। लंबित मामलों को निपटाने के लिए राज्य सरकार की ओर से अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

एसी बिल पर धनराशि की निकासी को राज्य की समेकित निधि में कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के विरुद्ध लेखाबद्ध किया जाता है। जब तक डीसी बिलों के माध्यम से निर्धारित समय के भीतर खाते का निपटान नहीं हो जाता, तब तक व्यय उस सीमा तक बढ़ा रहता है। डीसी बिलों को प्रस्तुत नहीं करना, विभागों के साथ-साथ कोषालयों द्वारा अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है।

### (ii) *डीसी बिलों को प्रस्तुत करने में विलंब*

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, 2012 के नियम 8 (2) में निर्धारित किया गया है कि निधियों का आहरण तभी किया जाये जब तत्काल भुगतान किया जाना हो एवं व्यय या भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हो।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में वर्ष 2020-21 के दौरान डीसी बिलों को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण विलंब देखा गया। विवरण **तालिका 4.17** में दिया गया है।

**तालिका 4.17: डीसी बिल प्रस्तुत करने में देरी की मात्रा**

**(₹ लाखों में)**

| क्र.सं. | कार्यालय का नाम | देरी से जमा किए गए डीसी बिलों की संख्या (एसी बिल संख्या के साथ) | विलम्ब की अवधि (महीनों में) | चालान के माध्यम से जमा की गई राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | प्राचार्य एवं अतिरिक्त प्राचार्य एस पी मेडिकल कॉलेज, बीकानेर | 1 (1487) | 33 | 0 |
| 2. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 1 (1076) | 20 | 0 |

| क्र.सं. | कार्यालय का नाम | देरी से जमा किए गए डीसी बिलों की संख्या (एसी बिल संख्या के साथ) | विलम्ब की अवधि (महीनों में) | चालान के माध्यम से जमा की गई राशि |
|---|---|---|---|---|
| 3. | एनसीसी निदेशालय, जयपुर | 3 (40,46, 20) | 10 से 18 | 1.06 |
| 4. | राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जयपुर | 8 (507, 122, 514, 510, 195, 215, 259, 452) | 10 से 20 | 0.48 |
| 5. | राजस्व मण्डल, अजमेर | 2 (991, 512) | 12 एवं 13 | 22.98 |
| 6. | आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर | 1 (346) | 15 | 0.62 |
| 7. | रवीन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर | 1 (87) | 8 | 0 |
| 8. | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर | 1 (205) | 10 | 0 |
| 9. | आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर | 2 (46, 82) | 7 एवं 9 | 0 |
| 10. | राज्य निर्वाचन आयोग विभाग, जयपुर | 5 (112, 120, 201 ,46, 18) | 7 से 11 | 0.13 |
| 11. | सार्वजनिक निर्माण विभाग, (भवन एवं सड़क) | 1 (23) | 7 | 0 |
| 12. | पुलिस महानिदेशक, जयपुर | 3(283, 353, 395) | 11 से 76 | 1.73 |
| 13. | निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर | 2 (584, 490) | 7 एवं 9 | 0 |
| 14. | निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर | 3 (368,347,348) | 39 से 50 | 0 |
| 15. | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर | 1 (38) | 15 | 0 |
| 16. | आयुक्त, राहत विभाग, जयपुर | 1(2029) | 14 | 0 |
| | **योग** | **36** | | **27.00** |

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, डीसी बिलों को प्रस्तुत करने में 7 महीने से 76 महीने तक की देरी थी जो इंगित करती है कि कुल ₹27 लाख की धनराशि तत्काल भुगतान की आवश्यकता के बिना आहरित की गई थी ।

(iii) लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि एसी बिलों के माध्यम से आहरित ₹60.79 करोड़ के विरुद्ध वर्ष के दौरान ₹59.44 करोड़ के 517 डीसी बिल प्राप्त हुए। इसके अलावा, 309 मामलों में चालान के माध्यम से ₹ 1.25 करोड़ की राशि सरकार को वापस जमा की गई थी जो दर्शाती है कि यह धनराशि बिना आवश्यकता के एसी बिलों के माध्यम से आहरित की गई थी।

आगे, कई मामलों में यह देखा गया था कि डीसी बिल प्रस्तुत करते समय चालान द्वारा महत्वपूर्ण राशि वापस जमा कर दी गई थी। विवरण निम्नलिखित **तालिका 4.18** में दिया गया है।

**तालिका 4.18: 25 प्रतिशत से अधिक राशि वापिस जमा करने वाले एसी बिलों का विवरण**

(**राशि** ₹ में)

| क्र. सं. | एसी बिल संख्या एवं दिनांक | वाउचर संख्या | एसी बिल राशि | शीर्ष | डीसी बिल संख्या एवं दिनांक | ज़मा की गई राशि | डीसी बिल राशि | एसी बिल के सम्बन्ध में जमा राशि का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33045/02-12-19 | 53879 | 40,000 | 3451-090-07-05 | 5/11-03-20 | 22,350 | 17,650 | 55.88 |
| 2. | 20/25-06-19 | 19553 | 1,24,700 | 2204-102-01-02-29 | 1/25-03-21 | 60,065 | 64,635 | 48.17 |
| 3. | 512/14-10-19 | 77528 | 52,00,000 | 2029-103-07-62 | 29/01-03-21 | 18,27,314 | 33,72,686 | 35.14 |

| क्र. सं. | एसी बिल संख्या एवं दिनांक | वाउचर संख्या | एसी बिल राशि | शीर्ष | डीसी बिल संख्या एवं दिनांक | ज़मा की गई राशि | डीसी बिल राशि | एसी बिल के सम्बन्ध में जमा राशि का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 151/29-11-19 | 40614 | 4,00,000 | 2515-800-01-02-57 | 1/14-05-20 | 1,50,605 | 2,49,395 | 37.65 |
| 5. | 282/13-03-20 | 84709 | 60,000 | 2515-800-01-02-57 | 16/22-06-20 | 26,400 | 33,600 | 44.00 |
| 6. | 222/29-11-19 | 86911 | 39,000 | 3425-01-800-05-57 | 65/03-07-20 | 28,372 | 10,628 | 72.75 |
| 7. | 34/05-11-19 | 80133 | 3,10,635 | 2204-102-01-03-29 | 54/05-03-20 | 93,725 | 2,16,910 | 30.17 |
| 8. | 106/24-10-19 | 61930 | 32,500 | 3425-01-800-05-57 | 24/23-05-20 | 14,133 | 18,367 | 43.49 |
| 9. | 108/24-10-19 | 61931 | 22,400 | 3425-01-800-05-57 | 22/23-05-20 | 6,650 | 15,750 | 29.69 |
| 10. | 132/04-03-20 | 120967 | 1,45,000 | 2851-102-06-30 | 3/09-11-20 | 1,13,824 | 31,176 | 78.50 |
| 11. | 138/08-01-20 | 88045 | 1,77,257 | 2204-102-01-03-29 | 42/20-08-20 | 51,558 | 1,25,699 | 29.09 |
| 12. | 73/03-01-20 | 131434 | 2,22,856 | 2204-102-01-02-29 | 55/23-09-20 | 1,04,459 | 1,18,397 | 46.87 |
| 13. | 55/16-01-20 | 56354 | 13,349 | 2204-102-01-03-29 | 74/12-03-20 | 6,208 | 7,141 | 46.51 |
| 14. | 209/09-09-20 | 34114 | 1,15,810 | 2051-103-01-08 | 397/29-12-20 | 39,460 | 76,350 | 34.07 |
| 15. | 104/18-11-20 | 84980 | 33,048 | 2204-102-01-03-29 | 121/05-01-21 | 10,807 | 22,241 | 32.70 |
| 16. | 107/27-01-21 | 106393 | 13,330 | 2204-102-01-02-29 | 110/10-02-21 | 3,617 | 9,713 | 27.13 |
| 17. | 297/19-11-20 | 49471 | 95,710 | 2051-103-01-08 | 464/15-02-21 | 25,628 | 70,082 | 26.78 |
| 18. | 121/19-11-20 | 56019 | 7,00,000 | 2515-800-01-02-57 | 190/08-02-21 | 3,92,300 | 3,07,700 | 56.04 |
| 19. | 110/11-12-20 | 79505 | 1,27,282 | 2204-102-01-02-29 | 145/25-02-21 | 79,387 | 47,895 | 62.37 |
| 20. | 68/22-02-21 | 119552 | 29,007 | 2204-102-01-02-29 | 80/25-03-21 | 15,248 | 13,759 | 52.57 |
| 21. | 83/02-03-21 | 109850 | 4,90,000 | 2403-001-02-02-59 | 96/30-03-21 | 1,92,268 | 2,97,732 | 39.24 |
| 22. | 105/22-02-21 | 70729 | 18,186 | 2204-102-01-02-29 | 119/18-03-21 | 9,709 | 8,477 | 53.39 |
| 23. | 57/28-10-20 | 57575 | 61,899 | 2217-80-191-09-57 | 159/04-03-21 | 43,853 | 18,046 | 70.85 |
| 24. | 58/30-10-20 | 57761 | 99,840 | 2217-80-191-09-57 | 160/04-03-21 | 78,672 | 21,168 | 78.80 |
| 25. | 149/17-03-21 | 121626 | 1,49,268 | 2851-102-06-29 | 1/23-04-21 | 76,460 | 72,808 | 51.22 |
| 26. | 189/04-02-21 | 66949 | 1,25,000 | 2014-105-21-01-29 | 13/09-04-21 | 81,965 | 43,035 | 65.57 |
| 27. | 194/08-02-21 | 66640 | 75,000 | 2014-105-21-01-29 | 12/09-04-21 | 46,650 | 28,350 | 62.20 |
| 28. | 33012/14-08-20 | 26250 | 30,000 | 2052-090-01-01-05 | 1/14-10-20 | 10,800 | 19,200 | 36.00 |
| 29. | 77/12-10-20 | 32808 | 10,00,000 | 2515-800-01-02-57 | 103/26-10-20 | 7,03,532 | 2,96,468 | 70.35 |

चालान के माध्यम से जमा की जा रही महत्वपूर्ण राशि इंगित करती है कि वास्तविक आवश्यकताओं के उचित मूल्यांकन के बिना एसी बिलों के माध्यम से धनराशि आहरित की गई थी।

एसी बिलों के माध्यम से निधियों का अनियमित प्रतिधारण विभागों को बजट प्रावधान के व्यपगत होने से बचने और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले राशि व्यय करने की बजटीय मजबूरी को दरकिनार करने में सक्षम कर सकता है । इसलिए, राज्य सरकार पहले से आहरित एसी बिलों के लम्बित डीसी बिलों की नियमित निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकती है।

## *4.6 निजी निक्षेप खाता*

निजी निक्षेप खाता लोक लेखे के जमा शीर्ष के अंतर्गत संबंधित कोषालय के साथ खोला जाता है। ऐसे खातों को कोषालय में बैंक खाते के रूप में संधारित किया जाता है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 260(1) प्रावधान करता है कि सरकारी लेखों में कोई भी धन राशि जमा के लिए प्राप्त नहीं कि जाएगी जब तक कि वे किसी वैधानिक प्रावधान या सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के आधार पर सरकार की अभिरक्षा में रखने के लिए आवश्यक या अधिकत न हों। निजी निक्षेप खाता खोलने के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हक) की पूर्व सहमति प्राप्त करने के लिए राजस्थान कोषागार नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 37,714.41 करोड़ की राशि मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-106- व्यक्तिगत जमा के अन्तर्गत निजी निक्षेप खातों में हस्तांतरित/जमा की गई, जिसमें से ₹26,691.69 करोड़ राज्य के समेकित निधि को नामे कर हस्तांतरित की गयी जो कुल व्यय (₹1,94,071 करोड़) का 13.75 प्रतिशत थी। राशि ₹26,691.69 करोड़ में से ₹5,913.31 करोड़ (22.15 प्रतिशत) केवल मार्च 2021 में पीडी खातों में हस्तांतरित की गई थी। राज्य बजट नियमावली के अनुसार, बजट अनुदानों के व्यपगत होने से बचाने के उद्देश्य से धन का आहरण करने कि प्रथा और ऐसी राशि को सार्वजनिक खाते या बैंक में जमा करने की मनाही है। इसलिए, मार्च माह के दौरान निजी निक्षेप खातों में व्यापक राशि का हस्तांतरण राज्य बजट नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन है।

31 मार्च 2021 को राज्य सरकार के निजी निक्षेप खातों (प्रचलित एवं अप्रचलित) की स्थिति नीचे **तालिका 4.19** में दी गई है:

**तालिका 4.19: प्रचलित और अप्रचलित पीडी खातों की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | खातों की संख्या (01 अप्रैल, 2020 को) | | वर्ष के दौरान वृध्दि | | वर्ष के दौरान बन्द | | पीडी खातों की संख्या (31 मार्च, 2021 को) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| 1. | प्रचलित पीडी खाते | 1,845 | 16,283.61 | 82* | 37,714.62* | 32** | 39,616.92** | 1,895 | 14,381.31 |
| 2. | अप्रचलित[12] पीडी खाते | 55 | 5.46 | 32** | 1.64** | 54* | 5.46* | 33 | 1.64 |
| | **योग** | **1,900** | **16,289.07** | **114** | **37,716.26** | **86** | **39,622.38** | **1,928** | **14,382.95** |

* 5 अप्रचलित पीडी खाते (₹0.21 करोड़) शामिल हैं जिन्हें वर्ष के दौरान प्रचलित किया गया था।

** 32 पीडी खाते (₹ 1.64 करोड़) जो वर्ष के दौरान अप्रचलित हो गए तथा वर्ष के दौरान पीडी खातों से संवितरित ₹ 39,615.28 करोड़ शामिल हैं ।

12. पांच वर्षों से अधिक से प्रचलित नहीं।

1,928 पीडी खातों में ₹14,382.95 करोड़ का अव्ययित शेष था जिसमें 22 पीडी खाते[13] (प्रत्येक में ₹100 करोड़ और उससे अधिक की शेष राशि) जिनमें ₹8,610.34 करोड़ अर्थात कुल अव्ययित शेष का 59.87 प्रतिशत था, शामिल हैं। वर्ष के दौरान 244 पीडी खातों में कोई लेनदेन नहीं हुआ। पीडी खातों और उनकी शेष राशि का आयु-वार विवरण नीचे **तालिका 4.20** में दिया गया है:

**तालिका 4.20: 31 मार्च 2021 को पीडी खातों का आयुवार विवरण**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | आयु वर्ग | पीडी खातों की संख्या | राशि (31 मार्च, 2021 को) |
|---|---|---|---|
| 1. | 0-1 वर्ष | 77 | 51.73 |
| 2. | 1-3 वर्ष | 269 | 1,151.83 |
| 3. | 3-5 वर्ष | 216 | 4,120.5 |
| 4. | 5-10 वर्ष | 487 | 2,653.64 |
| 5. | 10 वर्ष से अधिक | 679 | 4,992.41 |
| 6. | विवरण उपलब्ध नहीं | 200 | 1,412.84 |
| | **योग** | **1,928** | **14,382.95** |

पीडी खातों के विस्तृत विश्लेषण के दौरान, निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गईं:

### *4.6.1 जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी)*

राज्य सरकार ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/ कार्यक्रमों को लागू करने की दिशा में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना और केन्द्र और राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं में अंशदान का उपयोग करने के लिए डीएमएफटी की स्थापना (जून 2016) की। डीएमएफटी निधि में कुल शेष ₹1,405.13 करोड़ था, जो 31 मार्च 2021 को राजस्थान में डीएमएफटी के 38 पीडी खातों में शेष था।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने देश में कोविड-19 के प्रसार के कारण हुई आर्थिक बाधाओं के कारण गरीबों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत राशि ₹1.70 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा (26 मार्च 2020) की । इस पैकेज के अंतर्गत राज्य सरकारों को डीएमएफटी में उपलब्ध निधि का उपयोग गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार कोविड-19 से प्रभावित रोगियों के परीक्षण के साथ-साथ महामारी का प्रसार रोकने के लिए चिकित्सा परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाओं को बढ़ाने हेतु एक बारीय छूट प्रदान की गयी । राज्य सरकार द्वारा पुनः निर्देशित किया (31 मार्च 2020) कि कोविड-19 से संबंधित व्यय

13. राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति, जयपुर (सचिवालय) (₹1,191.58 करोड़); इंदिरा आवास योजना, जयपुर (सचिवालय) (₹1,092.88 करोड़); प्रबंध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लि. (₹718.55 करोड़); राजस्थान शहरी ढांचागत वित्त विकास निगम (₹591.33 करोड़); निदेशक, शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (₹531.36 करोड़); राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (ग्रामीण विकास विभाग) जयपुर (सचिवालय) (₹522.47 करोड़); निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर (सचिवालय) (₹427.52 करोड़); सचिव राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण जयपुर शहर (₹381.26 करोड़); राजस्थान भवन निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, जयपुर शहर (₹365.17 करोड़); उप-प्रबंधक, राजस्थान राज्य कार्पोरेशन बैंक जयपुर शहर (₹352.08 करोड़); राजस्थान चिकित्सा शिक्षा समिति, जयपुर (सचिवालय) (₹324.22 करोड़); आयुक्त टी.ए.डी, उदयपुर (₹282.24 करोड़); प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर (सचिवालय) (₹261.26 करोड़); राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड जयपुर (सचिवालय) (₹235.37 करोड़); डीएमएफटी, चित्तौड़गढ़ (₹242.17 करोड़); डीएमएफटी, उदयपुर (ग्रामीण) (₹234.52 करोड़); जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जयपुर (₹148.40 करोड़); कृषक कल्याण कोष (के-3) जयपुर (शहर) (₹170.00 करोड़); डीएमएफटी, राजसमन्द (₹157.35 करोड़); राजस्थान अक्षय उर्जा विकास कोष, जयपुर (₹132.41 करोड़); अध्यक्ष, डीएमएफटी निधि, अजमेर (₹131.47 करोड़) एवं कोटा स्मार्ट सिटी लि., कोटा (₹116.73 करोड़) ।

डीएमएफटी में उपलब्ध शेष राशि के तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। जिलों द्वारा डीएमएफटी निधि से कोविड-19 के लिए निधियों के उपयोग की सूचना नीचे **तालिका 4.21** में दी गई है:

**तालिका 4.21: कोविड-19 के लिए डीएमएफटी निधियों के उपयोग की जिलेवार स्थिति***

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | जिले का नाम | 31 मार्च, 2020 को शेष | मार्च, 2020 को शेष राशि का 30 प्रतिशत | व्यय | व्यय का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | उदयपुर | 238.73 | 71.62 | - | 0.0 |
| 2. | झुंझुनू | 22.04 | 6.61 | 0.84 | 12.7 |
| 3. | बाँसवाड़ा | 15.27 | 4.58 | 0.14 | 3.1 |
| 4. | बूंदी | 14.84 | 4.45 | 0.43 | 9.7 |
| 5. | चित्तौड़गढ़ | 220.09 | 66.03 | 0.25 | 0.4 |
| 6. | बीकानेर | 28.93 | 8.68 | 2.37 | 27.3 |
| 7. | अलवर | 15.84 | 4.75 | 0.72 | 15.2 |
| 8. | जैसलमेर | 37.04 | 11.11 | - | 0.0 |
| 9. | जोधपुर (ग्रामीण) | 2.76 | 0.83 | 0.70 | 84.3 |
| 10. | हनुमानगढ़# | 5.07 | 1.52 | - | 0.0 |
| 11. | पाली | 157.07 | 47.12 | 2.48 | 5.25 |
| 12. | भीलवाड़ा | 876.08 | 262.82 | 3.41 | 1.30 |

*** अगस्त 2021 तक**

# अप्रैल 2021 और जून 2021 में ₹ 1.08 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी ।

तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार कोविड-19 उपायों के लिए डीएमएफटी निधियों का उपयोग करने के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई एक बारीय छूट का लाभ नहीं उठा सकी क्योंकि जोधपुर (ग्रामीण) को छोड़कर, व्यय शून्य से 27.3 प्रतिशत के बीच रहा । शेष जिलों के संबंध में सूचना प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2021)।

### *4.6.2 राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण लिमिटेड (आरएसआरडीसी)*

एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नए मुर्दाघर के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में राशि ₹215.36 लाख स्वीकृत[14] की गई थी। यह कार्य एक वर्ष में पूर्ण करना था। स्वीकृत राशि में से ₹100 लाख की राशि सितम्बर 2013 में आरएसआरडीसी के पीडी खाते[15] में हस्तांतरित[16] कर दी गई थी जो इस कार्य के लिए निष्पादन एजेन्सी थी।

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी (जुलाई 2021) जानकारी के अनुसार, नौ वर्ष व्यतीत होने के बाद भी न तो कार्य पूर्ण हुआ और न ही आरएसआरडीसी द्वारा राशि को सरकारी खाते में वापस जमा किया गया । विभाग के उत्तर (जुलाई 2021) के अनुसार, नये मुर्दाघर का निर्माण कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण को दिया जा चुका है।

14. आदेश क्रमांक एफ-18 (16)/एमबी/ग्रुप.I/2012 दिनांक 21.06.2013
15. पीडी खाता सं. 3798
16. बजट शीर्ष 4210-03-105-01-90-17

इस सम्बन्ध में आरएसआरडीसी का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2021)। यह राज्य सरकार के स्तर पर अनुश्रवण में कमी और सरकारी धन के अवरुद्धिकरण की ओर इंगित करता है।

### *4.6.3 निजी निक्षेप खातों का मिलान*

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 264 (5) के अन्तर्गत पीडी खातों के प्रशासकों को इन खातों के शेष को कोषालय अधिकारियों (जहां विस्तृत लेखों को कोषालयों द्वारा संधारित किया जाता हैं) के साथ मिलान करना आवश्यक है। राजस्थान कोषागार नियम, 2012 के नियम 99 में बताया गया है कि कोषालय/उप-कोषालय अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि के संबंध में प्रत्येक पीडी खाते के प्रशासक से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि मार्च 2021 के अंत तक पीडी खाते के शेष की पुष्टि के संबंध में 8 कोषालयों[17] द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि 5 कोषालयों[18] के 5 पीडी खातों के मामले में कोषालयों और प्रशासकों के शेष के आंकड़ों में अंतर था, जो नियमानुसार मिलान की कमी को दर्शाता है।

पीडी खाते में शेष राशि का समय-समय पर मिलान नहीं करना सार्वजनिक निधियों के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है। इसलिए, पीडी खातों के प्रशासकों या कोषालय अधिकारियों द्वारा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) के साथ पीडी खातों की शेष राशि के मिलान के लिए एक प्रणाली विकसित की जा सकती है। आगे, राज्य सरकार द्वारा पीडी खातों में योजनावार शेष की सूचना संधारित नहीं की जाती है। राज्य को सभी पीडी खातों के लिए योजनावार लेखे संधारित करने चाहिए।

वित्त विभाग ने अवगत कराया (फरवरी 2021) कि सभी कोषालयों को पीडी खातों के प्रशासकों के साथ शेष राशि का मिलान करने और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उनसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। वित्त विभाग ने निर्देश जारी किये (दिसम्बर 2021) कि पीडी खातों की शेष राशि का पीडी खातों के प्रशासकों द्वारा प्रत्येक वर्ष कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) के साथ मिलान किया जावे।

### *4.6.4 निजी निक्षेप खातों में प्रतिकूल शेष राशि*

पीडी खातों के शेष की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि तीन पीडी खातों में ऋणात्मक शेष थे। विवरण नीचे **तालिका 4.22** में दिया गया है:

**तालिका 4.22: पीडी खाते में प्रतिकूल शेष**

**(राशि ₹ में)**

| क्र. सं. | कोषालय का नाम | पीडी खाता संख्या | पीडी खाते का विवरण | 31 मार्च 2021 को शेष |
|---|---|---|---|---|
| 1. | दौसा | **3059** | जिला अल्प बचत अधिकारी, दौसा | (-)**8,06,673** |
| 2. | दौसा | **3064** | वरिष्ठ उप ज़ि.शि.अ. सह ख.प्रा.शि.अ. सिकराय, दौसा | (-)**1,01,64,509** |
| 3. | जोधपुर (शहर) | **4144** | अधिशाषी अभियन्ता, जन.स्वा.अभि. विभाग, खण्ड-II, जोधपुर (शहर) | (-)**23,35,858** |

17. अलवर, दौसा, जयपुर (शहर), जयपुर (ग्रामीण), जयपुर (सचिवालय), सीकर, झुंझुनू एवं सवाई माधोपुर ।

18. दौसा (1), जयपुर (शहर) (1), जयपुर (सचिवालय) (1), अलवर (1) एवं सीकर (1)

ऋणात्मक शेष उपलब्ध शेष/निधि से अधिक भुगतान को दर्शाता है जो कोषालय स्तर पर मिलान और पर्याप्त जांच की कमी को दर्शाता है।

वित्त (आर्थिक मामले) विभाग ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि सभी कोषालयों को महालेखाकार के कार्यालय के साथ पीडी खातों का तिमाही आधार पर मिलान एवं इस संबंध में एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त करने के लिए निर्देश जारी किये जा चुके हैं (फरवरी 2021)।

### *4.6.5 अप्रचलित निजी निक्षेप खाते*

राजस्थान कोषागार नियम 2012 का नियम 98 प्रावधित करता है कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में वित्त (मार्गोपाय) विभाग को भेजने के लिए कोषाधिकारी प्रचलित पीडी खातों की समीक्षा करेगा और उन खातों की सूची तैयार करेगा जो पिछले पांच वित्तीय वर्षों से लगातार अप्रचलित रहे हैं।

विभिन्न विभागों के पीडी खातों की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि 31 मार्च 2021 तक, कुल 33 पीडी खाते जिनमें ₹1.64 करोड़ शेष थे पिछले पांच वर्षों (2016-21) से निष्क्रिय थे। इसमें से 12 निष्क्रिय पीडी खातों में पिछले पांच वर्षों से शून्य शेष है। इन पीडी खातों की वर्तमान स्थिति का विवरण ***परिशिष्ट 4.2*** में दिया गया है। सम्बन्धित कोषालयों द्वारा उपलब्ध करायी (जुलाई 2021) गई सूचना के अनुसार चार अप्रचलित पीडी खाते बंद कर दिए गए हैं।

पांच वर्षों से अप्रचलित रहने के बावजूद पीडी खातों को बंद न करना जी एफ एंड ए आर के नियम 264(2) और राजस्थान कोषागार नियम 2012 के नियम 98 के प्रावधानों का उल्लंघन है और कोषालय स्तर पर अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है।

## *4.7 लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग*

लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां और 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत प्राप्तियों या व्यय की बुकिंग को प्राप्तियों और व्यय का अपारदर्शी वर्गीकरण माना जाता है क्योंकि ये शीर्ष विशिष्ट योजनाओं/ कार्यक्रमों आदि जिनसे राशि सम्बन्धित है को प्रकट नहीं करते हैं।

राज्य बजट नियमावली का परिशिष्ट 'अ' निर्धारित करता है कि प्राकलन अधिकारियों को पर्याप्त सावधानी यह सुनिश्चित करने के लिए रखनी चाहिए कि व्यय उचित विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और जहां तक संभव हो अन्य व्यय की श्रेणी के अन्तर्गत बुकिंग से बचा जाना चाहिए।

वर्ष 2020-21 के दौरान लेखों के शीर्ष जिनमें लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत बुक की गई राशि कुल प्राप्ति/ व्यय का 50 प्रतिशत या उससे अधिक है नीचे **तालिका 4.23** में दिए गए हैं:

**तालिका 4.23: लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/व्यय के अंतर्गत दर्ज**

| क्र. सं. | | प्राप्ति | | व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|
| | विवरण | राशि (₹ करोड़ में) | लेखा शीर्ष | राशि (₹ करोड़ में) | लेखा शीर्ष |
| 1. | 100% | 128.33 | 0035, 0056, 0211, 0217, 0220, 0801, | 4.55 | 2047, 5425 |

| क्र. सं. | विवरण | प्राप्ति | | व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | राशि (₹ करोड़ में) | लेखा शीर्ष | राशि (₹ करोड़ में) | लेखा शीर्ष |
| | | | 0851, 0852, 1452, 0235 | | |
| 2. | 75% से 99% के मध्य | 511.86 | 0230, 0401, 0425, 0435, 515 | 25.36 | 3425, 4235 |
| 3. | 50% से 74% के मध्य | 885.18 | 0029, 0058, 0700, 0406, 1475 | 2,943.15 | 2040, 2700, 2701, 2702, 3055, 4401, 4575, 4885, 5475 |
| | **योग** | **1,525.37** | | **2,973.06** | |

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि राज्य सरकार ने पांच वर्ष की अवधि 2016-21 के दौरान इस लघु शीर्ष का बड़े पैमाने पर संचालन किया है । वे मामले जहां व्यय और प्राप्तियों के अत्यधिक भाग (50 प्रतिशत या अधिक) को लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, को ***परिशिष्ट 4.3*** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2016-21 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय और 800-अन्य प्राप्तियों के संचालन की सीमा संबंधित शीर्षों के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में **चार्ट 4.3** एवं **चार्ट 4.4** में दी गई है।

**चार्ट 4.3: वर्ष 2016-21 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय का संचालन**

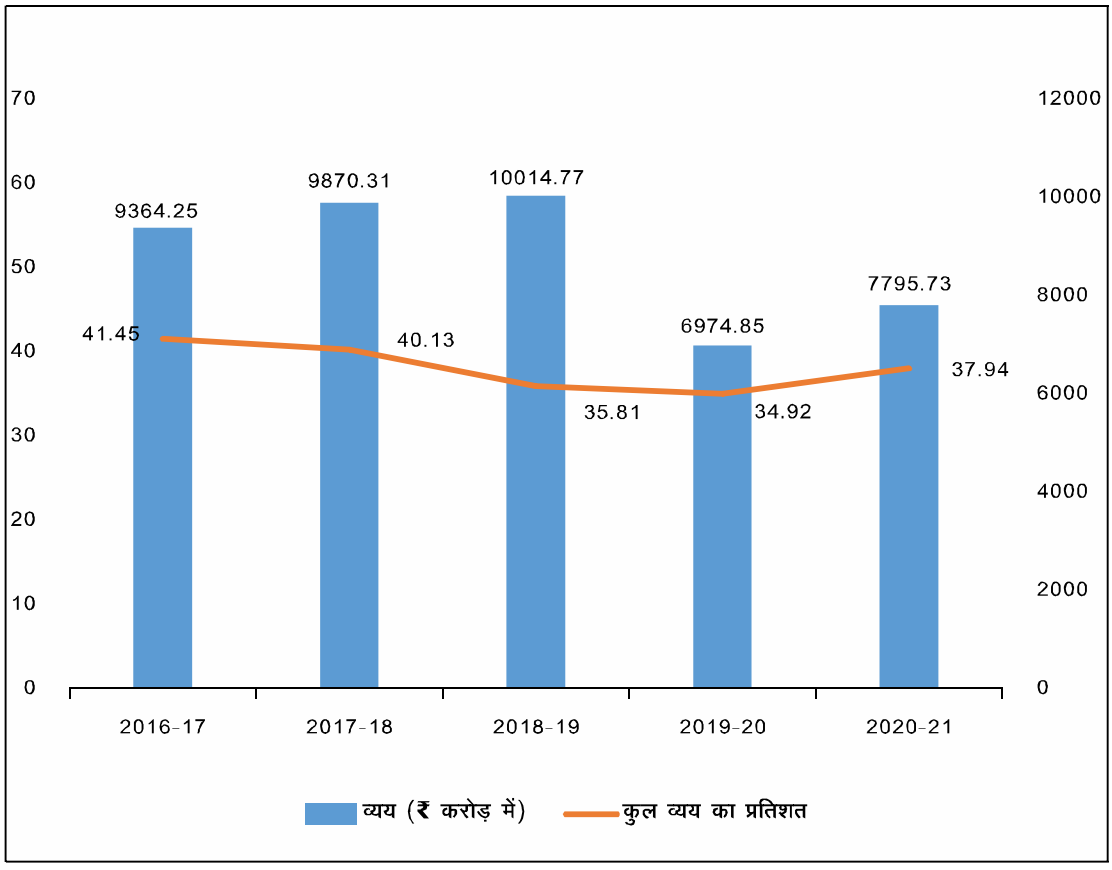

**चार्ट 4.4: वर्ष 2016-21 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों का संचालन**

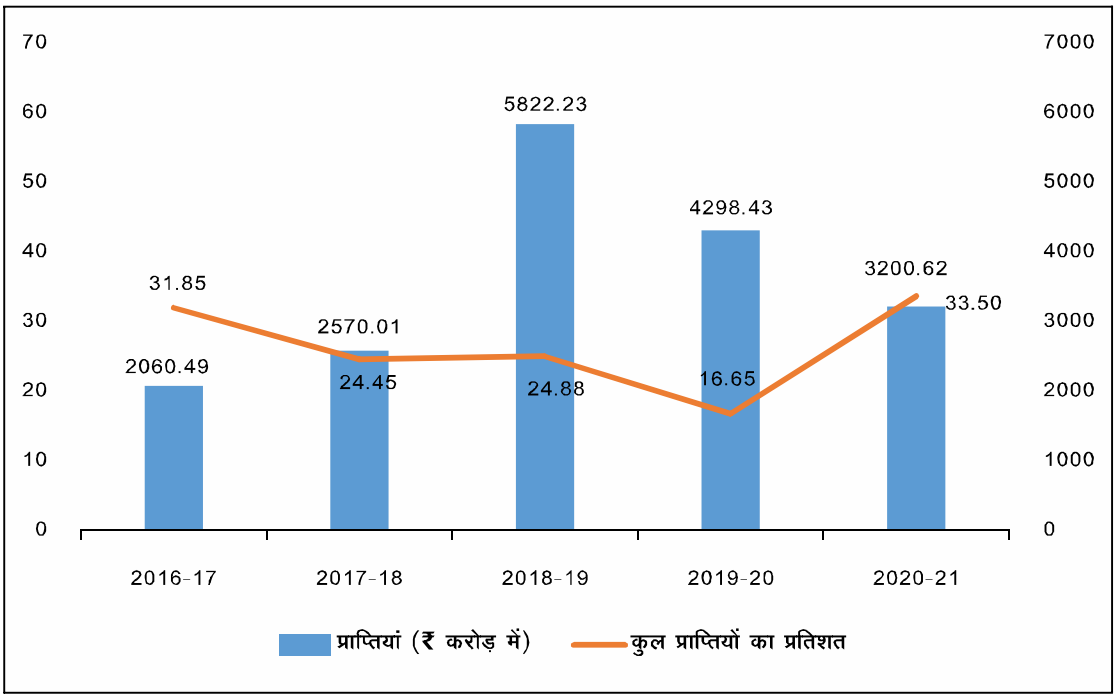


सम्बंधित शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष-800 में दर्ज अत्यधिक राशि वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

## *4.8 मुख्य उचंत शीर्ष और डीडीआर शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष*

उचन्त शीर्ष, राज्य के शेषों को प्रभावित करने वाले नामे एवं जमा लेनदेनों के अंतिम समायोजन बकाया रहने तक अस्थाई सुविधा के लिए अभिप्रेत है। केंद्र सरकार की ओर से किए जाने वाले लेनदेनों का लेखा भी इसी शीर्ष में रखा जाता है।

प्रेषण में सभी समायोजन शीर्ष शामिल हैं, जिसके अंतर्गत कोषालयों के मध्य नकद प्रेषण और विभिन्न लेखांकन क्षेत्रों के बीच हस्तांतरण प्रकट होते हैं। इन संभागों में शीर्ष के प्रारम्भिक नामे या जमा अंततः सम्बंधित प्राप्तियों या भुगतानों द्वारा या तो उसी क्षेत्र के खाते के बीच या किसी अन्य क्षेत्र के खाते में समायोजित हो जाती है। वित्त लेखे उचन्त और प्रेषण शीर्षों में निवल शेष को प्रतिबिम्बित करते हैं। इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया नामे और जमा शेष को अलग-अलग समेकित कर निकाला जाता है। उचन्त और प्रेषण मद का निपटान राज्य कोषालयों/निर्माण और वन खण्डों आदि द्वारा प्रस्तुत विवरणों पर निर्भर करता है। भुगतान एवं लेखा अधिकारियों द्वारा उचन्त शेषों के खाते उप/विस्तृत शीर्षवार संधारित करना आवश्यक है। मुख्य शीर्ष 8658-उचंत खाता के अंतर्गत उचन्त लघु शीर्ष 101- पीएओ उचन्त, 102- उचन्त लेखा (सिविल) और 112- स्रोतों पर कर कटौती में लेनदेनों एवं निवल शेषों को नीचे **तालिका 4.24** में वर्णित किया गया है।

**तालिका: 4.24 उचन्त और प्रेषण शीर्षों के तहत शेष**

(₹ करोड़ में)

| क्रं. सं. | लघु शीर्ष | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **मुख्य शीर्ष 8658– उचंत** | | | | | | |
| | | नामे | जमा | नामे | जमा | नामे | जमा |
| 1 | 101- पीएओ उचन्त | 157.98 | 35.15 | 168.25 | 48.83 | 143.76 | 8.04 |
| | **निवल** | **नामे 122.83** | | **नामे 119.42** | | **नामे 135.72** | |
| 2 | 102 - उचन्त लेखे- सिविल | 0.83 | 3.15 | 0.38 | 76.18 | 6.69 | 111.49 |
| | **निविल** | **जमा 2.32** | | **जमा 75.80** | | **जमा 104.80** | |
| 3 | 106 -संचार लेखा कार्यालय उचन्त | -* | – | -* | – | -* | |
| | **निवल** | **नामे –*** | | **नामे –*** | | **नामे –*** | |
| 4 | 109 - रिजर्व बैंक उचन्त मुख्यालय | – | – | –# | –@ | -# | |
| | **निवल** | – | | **नामे–$** | | **नामे –#** | |
| 5 | 112-स्रोतों पर कर कटौती (टीडीएस) उचन्त | - | **48.14** | – | **42.98** | – | **136.75** |
| | **निवल** | **जमा 48.14** | | **जमा 42.98** | | **जमा 136.75** | |
| 6 | 123-अखिल भारतीय सेवा अधिकारी समूह बीमा योजना | – | 0.16 | – | 0.17 | - | 0.17 |
| | **निवल** | **जमा 0.16** | | **जमा 0.17** | | **जमा 0.17** | |
| 7 | 129-सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा | – | (-) 3.20 | – | (-) 3.27 | - | (-) 3.50 |
| | **निवल** | **जमा (-) 3.20** | | **जमा (-) 3.27** | | **जमा (-) 3.50** | |
| 8 | 139-स्रोत पर जीएसटी कटौती उचन्त | - | - | - | 33.62 | - | 52.70 |
| | **निवल** | – | | **जमा 33.62** | | **जमा 52.70** | |
| | **निवल योग** | **नामे 75.41** | | **जमा 29.88** | | **जमा 155.20** | |
| | **मुख्य शीर्ष 8782–नकद प्रेषण** | | | | | | |
| 9 | 102-पी डब्लू प्रेषण | 32.95 | 33.28 | 27.98 | 30.57 | 26.47 | 28.78 |
| | **निवल** | **जमा 0.33** | | **जमा 2.59** | | **जमा 2.31** | |
| 10 | 103-वन प्रेषण | 1.75 | 0.14 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.13 |
| | **निवल** | **नामे 1.61** | | **नामे 0.08** | | **नामे 0.08** | |
| 11 | 108-अन्य विभागीय प्रेषण | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.03 | - |
| | **निवल** | **नामे 0.03** | | **नामे 0.03** | | **नामे 0.03** | |
| 12 | 129-इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत हस्तांतरण | 77.41 | 76.67 | 77.41 | 76.67 | 77.41 | 76.67 |
| | **निवल** | **नामे 0.74** | | **नामे 0.74** | | **नामे 0.74** | |
| | **निवल योग** | **नामे 2.05** | | **जमा 1.79** | | **जमा 1.62** | |

* ₹588 मात्र, # ₹4213 मात्र @ ₹240 मात्र $ ₹3973 मात्र

गत तीन वर्षों के लिए मुख्य उचंत और प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत सकल आंकड़ों की स्थिति से पता चलता है कि वित्त लेखों में मुख्य शीर्ष '8658-उचंत लेखे' के अंतर्गत कुल निवल शेष में 2019-20 से 2020-21 तक ₹ 125.32 करोड़ की जमा शेष वृद्धि दर्ज की गई है।

- **भुगतान एवं लेखा अधिकारी (पीएओ)-उचन्त (लघु शीर्ष 101)**

यह लघु शीर्ष एक केन्द्रीय भुगतान और लेखा अधिकारी, संघ शासित प्रदेशों के अलग लेखा अधिकारी और महालेखाकार जहाँ अन्य पक्ष भुगतान और लेखा अधिकारी है, के लेखों में होने वाले अंतर-सरकारी लेन-देनों के प्रारम्भिक अभिलेख के लिए अभिप्रेत है। इस शीर्ष में प्रत्येक लेखाधिकारी, जिसके साथ लेनदेनों का समायोजन किया जाना है, के लिए पृथक से उप-शीर्ष खोला जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया नामे शेष भुगतानों, जो वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा दूसरों की ओर से किए गए हैं और अभी तक वसूल नहीं किए जा सके हैं को इंगित करते हैं और जमा शेष, राशि जिसका अभी भुगतान किया जाना है को प्रदर्शित करते हैं।

मार्च 2021 के अंत में इस खाते में बकाया नामे शेष ₹143.76 करोड़ और जमा शेष ₹8.04 करोड़ था। बकाया नामे शेष मुख्य रूप से पीएओ, केंद्रीय पेंशन लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली (₹135.25 करोड़) और पीएओ (एनएच), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जयपुर (₹7.95 करोड़) से संबंधित है, जबकि जमा शेष मुख्यतः पीएओ (एनएच), खनन मंत्रालय (₹ 6.78 करोड़) से सम्बन्धित है।

- ***उचंत लेखा सिविल (लघु शीर्ष 102)***

यह लघु शीर्ष महालेखाकार द्वारा संचालित होता है, जो लेनदेनों में पाए गए अंतरों को अंतिम रुप से समायोजित करने के लिए होता है, जिन्हें कुछ सूचनाओं/दस्तावेजों जैसे वाउचरों, चालानों इत्यादि के अभाव में प्राप्ति/व्यय के अंतिम शीर्ष में नहीं लिया जा सकता है। इस लेखे में प्राप्तियों को जमा तथा व्यय को नामे किया जाता है और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर क्रमशः ऋणात्मक जमा और ऋणात्मक नामे कर निपटान किया जाता है।

मार्च 2021 के अंत तक इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया मुख्य जमा शेष विफल ई-भुगतान (₹105.07 करोड़), आरआईएसएल शुल्क (सिविल जमाः ₹ 2.09 करोड़ और कार्य जमाः ₹4.23 करोड़), सीडीए[19] (पेंशन), इलाहाबाद (₹ 0.02 करोड़) और सीडीए (एससी[20]), पुणे (₹0.34 करोड़) के संबंध में थे।

- **स्रोतों पर कर कटौती (टीडीएस) उचन्त (लघु शीर्ष 112)**

यह लघु शीर्ष स्रोतों पर आयकर कटौती की प्राप्तियों को समायोजित करने के लिए है । टीडीएस प्राप्तियों को मुख्य शीर्ष 8658- उचन्त लेखा के अंतर्गत लघु शीर्ष 112- टीडीएस उचन्त में जमा किया जाता है। प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत तक इन जमाओं को समायोजित किया जाता है और आयकर विभाग को जमा किया जाता है।

यद्यपि, 31 मार्च 2021 को इसमें ₹136.75 करोड़ का बकाया था, जो आयकर विभाग को जमा किया जाना था।

19. रक्षा लेखा नियन्त्रक

20. दक्षिणी कमान

- **डीडीआर शीर्षों में प्रतिकूल शेष**

प्रतिकूल शेष लेखों के उन शीर्षों में प्रकट होने वाले नकारात्मक शेष हैं, जहाँ नकारात्मक शेष नहीं होने चाहिए और इसके विपरीत हैं।

31 मार्च 2021 को 12 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत ऋण, जमा और प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के 66 मामलों[21] में ₹ 2,294.60 करोड़ की राशि के प्रतिकूल शेष थे। प्रतिकूल शेष मुख्यतः नगर परिषदों / नगर पालिकाओं के कर्मचारियों के पेंशन निधि (₹ 2,288.87 करोड़) के अंतर्गत था। इन डीडीआर शीर्षों में प्रतिकूल शेषों को प्राथमिकता के आधार पर अंक मिलान और समायोजित करने की आवश्यकता है।

## *4.9 विभागीय आंकड़ों का मिलान*

आँकड़ों का मिलान और सत्यापन वित्तीय प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्राप्ति और व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण और गलत प्रविष्टियों को दर्ज होने से रोकता है। जी एफ एंड ए आर के नियम 11(3) के अनुसार, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को राजस्थान सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के आँकड़ों को महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान द्वारा लेखाबद्ध आँकड़ों से मिलान करना आवश्यक है।

वर्ष 2020-21 के दौरान (i) 434 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कुल व्यय ₹2,35,093.90 करोड़ (निवल) और (ii) 182 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कुल प्राप्तियों ₹2,24,659.49 करोड़ (निवल) (विविध पूंजीगत प्राप्तियों सहित) का शत प्रतिशत अंक मिलान किया गया। वास्तव में, गत पांच वर्षों से राज्य सरकार व्यय एवं प्राप्तियों का 100 प्रतिशत अंक मिलान पूर्ण करती रही है।

## *4.10 नकद शेष का मिलान*

'रिजर्व बैंक के पास जमा' का शेष सरकारी लेखे के अनुसार शेष को प्रदर्शित करता है, जिसमें 15 अप्रैल 2021 तक भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित अन्तर सरकारी मौद्रिक परिशोधन शामिल है। खाते में दर्शाए गए आँकड़े [₹20.99 करोड़ (नामे)] और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए [₹18.92 करोड़ (जमा)] आँकड़े के बीच ₹ 2.07 करोड़ (जमा) का निवल अंतर था। इसमें से ₹ 1.96 करोड़ (जमा) का अंक मिलान कर निपटान कर दिया गया है, जबकि ₹0.11 करोड़ (जमा) अंक मिलान हेतु लंबित है (जून 2021)।

## *4.11 लेखांकन मानकों की अनुपालना*

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति संघ एवं राज्यों के लेखों के लिए प्रपत्र निर्धारित कर सकते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2002 में जवाबदेही तंत्र को बढ़ावा देने हेतु सरकारी लेखांकन एवं वित्तीय रिपोर्टिंग के मानक निर्धारित करने के लिए सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) की स्थापना की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी

21. भवन ऋण (एक प्रकरणः मात्र ₹21,420); फसल कृषिकर्म के लिए ऋण (एक प्रकरणः मात्र ₹200); सहकारिता के लिए ऋण (एक प्रकरणः ₹0.03 करोड़); अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण (एक प्रकरणः मात्र ₹5000); सरकारी कर्मचारियों को ऋण (45 प्रकरणः ₹2.82 करोड़); राज्य प्रावधायी निधि (एक प्रकरणः ₹0.01 करोड़); बीमा एवं पेंशन निधियां (एक प्रकरणः ₹2,288.87 करोड़); सिविल डिपोजिट (एक प्रकरणः मात्र ₹10); स्थानीय निधि जमा (तीन प्रकरणः ₹0.01 करोड़); रोकड़ प्रेषण एवं समान अधिकारियों को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच समायोजन (तीन प्रकरणः ₹2.74 करोड़) एवं अंतर-राज्य उचंत खाता (सात प्रकरणः मात्र ₹0.10 करोड़)।

लेखांकन मानक (आईजीएएस) अधिसूचित किए। निम्न **तालिका 4.25** इन तीन लेखांकन मानकों के अनुपालन की स्थिति को दर्शाती है।

**4.25: लेखांकन मानकों का अनुपालन**

| क्र.सं. | लेखांकन मानक | आई जी ए एस का सारांश | राज्य सरकार द्वारा अनुपालना | कमी का प्रभाव |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **आईजीएएस :1**–सरकार द्वारा की गई गारंटी प्रकटीकरण की आवश्यकताएं | इस मानक में सरकार को अपने वित्तीय विवरणों में वर्ष के दौरान (वर्ग और क्षेत्रवार) अधिकतम गारंटी राशि के साथ वृद्धि, कमी, नहीं चुकाई गई, चुकाई गई और वर्ष के आरम्भ और अन्त में बकाया, अनुदानदाता कमीशन और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है। | अनुपालना की गई | --- |
| 2. | **आईजीएएस:2**– सहायतार्थ अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण | सरकार को, सहायतार्थ अनुदान को अनुदानदाता के लेखों में राजस्व व्यय और अनुदानग्राही के लेखों में राजस्व प्राप्ति के रुप में अंतिम उपयोग पर विचार किये बिना वर्गीकृत किया जाना चाहिए । वस्तु के रूप में दिए गए सहायतार्थ अनुदान को प्रकट करने की आवश्यकता होती है। | आंशिक रुप से अनुपालन, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा वस्तु के रूप में दिए गए सहायतार्थ अनुदान की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है । | लेखांकन मानक के अनुसार सहायतार्थ अनुदान की प्रकृति के प्रकटीकरण का अभाव पाया गया। |
| 3. | **आईजीएएस:3**– सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम | सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम की पहचान, माप और मूल्यांकन और रिपोर्टिंग तथा अपने वित्तीय विवरणों में सरकार द्वारा लिए दिये गये ऋण एवं अग्रिम को पूर्ण, सही और एक समान लेखांकन और पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने से सम्बन्धित है। | आंशिक रुप से अनुपालन किया। अवसूलनीय ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते डालने, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम पर इकाई वार जमा ब्याज का विवरण, वर्ष के दौरान वितरित नए ऋण एवं अग्रिम के कारण, और बकाया मूलधन और ब्याज के विवरण जहाँ विस्तृत लेखे राज्य द्वारा संधारित किये जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे। | राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम के प्रकटीकरण की आवश्यकता पूरी नहीं की गयी है । |

## *4.12 स्वायत्त निकायों के लेखे/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना*

राज्य के 43 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों [22] के लेखों की लेखापरीक्षा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत सीएजी को सौंपी गयी । सितम्बर 2021 तक, सभी 43 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के वर्ष 2019-20 तक के लेखे, सिवाय कैम्पा के वर्ष 2013-14 से 2019 -20 तक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), प्रतापगढ़ के वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के और भवन

22. राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू), जयपुर; राजस्थान विद्युत नियामक निगम; राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा); राज्य क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण (कैम्पा); राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं 36 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (बीओसीडब्लू) के 2019-20 के लेखों को छोड़कर प्राप्त हो चुके है।

## *4.13 विभागीय वाणिज्यक उपक्रम/निगम/कंपनियां*

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) आयोजित करना आवश्यक है । कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 प्रतिवेदित करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उक्त एजीएम में उनके विचार के लिए रखे जाने चाहिए। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 और 395 के अनुसार, किसी सरकारी कम्पनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन इस वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के तीन माह में तैयार किये जाने चाहिए। इस प्रकार की तैयारी के शीघ्र बाद ही वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और इस पर सीएजी द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी अथवा पूरक के साथ राज्य विधानसभा के सदन अथवा दोनों सदनों के समक्ष रखी जानी चाहिए।

लेखों को समय पर अंतिम रुप देने के अभाव में, सरकार के निवेश के परिणाम राज्य विधानमंडल के दायरे से बाहर रहते हैं और लेखापरीक्षा द्वारा जाँच से बच जाते हैं। इसके फलस्वरुप, जवाबदेही सुनिश्चित करने और दक्षता में सुधार के लिए सुधारात्मक उपाय यदि कोई आवश्यक हो, समय से नहीं लिए जा सकते हैं। धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार, राज्य के 45 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जिनकी कुल चुकता पूंजी ₹52,112.06 करोड़ थी, जिसमें राज्य सरकार का निवेश ₹51,265.97 करोड़ शामिल था। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का कुल संचित घाटा ₹96,905.95 करोड़ था ***(परिशिष्ट 4.4)***। पूँजी निवेश की तुलना में संचित घाटे की अधिक मात्रा यह दर्शाती है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की समग्र पूंजी पूर्ण रूप से अपक्षरित हो चुकी है और नकारात्मक निवल मूल्य ₹44,793.89 करोड़ में परिणित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, निवेश और संचित घाटे (हानि) (96,905.95 करोड़) के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 45 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 13 में यह अपक्षरण (₹61,810.93 करोड़) हुआ है। निवेश के अपक्षरण में ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का मुख्य योगदान था।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बकाया लेखों का आयु-वार विश्लेषण नीचे **तालिका 4.26** में दिया गया है :

**तालिका 4.26: लेखों का आयु-वार बकाया**

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | लेखे कब से लंबित है | सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या | सरकारी निवेश |
|---|---|---|---|
| 1. | 2015-16 | 01 | 6.01 |
| 2. | 2016-17 | 00 | 0.00 |
| 3. | 2017-18 | 02 | 52.16 |
| 4. | 2018-19 | 01 | 21.95 |
| 5. | 2019-20 | 02 | 86.50 |

| क्र.सं. | लेखे कब से लंबित है | सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या | सरकारी निवेश |
|---|---|---|---|
| | योग | 06 | 160.62 |

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 30 सितम्बर 2021 तक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के 45 उपकर्मों में से 6 उपक्रमों के वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के लेखे बकाया हैं, जिनमें सरकार द्वारा कुल ₹160.62 करोड़ निवेश किया हुआ है।

## *4.14 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि*

सामान्य वित्तीय और लेखा नियम भाग-I के नियम 20 में यह प्रावधान है कि सरकार द्वारा या सरकार की ओर से रखा हुआ सार्वजनिक धन, विभागीय राजस्व, प्राप्तियां, टिकटों, भंडार या अन्य सम्पत्ति की हानि दुर्विनियोजन, कपटपूर्ण आहरण/भुगतान, हानि इत्यादि के कारण नुकसान जो कोषालय या किसी अन्य कार्यालय या विभाग में ज्ञात होती है की सूचना संबंधित अधिकारी अगले उच्च प्राधिकारी के साथ-साथ महालेखाकार को तुरन्त देंगे।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2021 तक विभिन्न विभागों में सरकारी धन के दुर्विनियोजन (302) और चोरी/हानि (461) के राशि ₹118.30 करोड़ के 763 प्रकरण सूचित किये, जिस पर अंतिम कार्यवाही जून 2021 तक लंबित थी। विवरण नीचे **तालिका 4.27** में दिया गया है।

**तालिका 4.27: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि के लंबित मामले**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विभाग | सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन, हानि, चोरी के प्रकरण | | दुर्विनियोजन, हानि, चोरी इत्यादि के लंबित मामलों के अंतिम निस्तारण में देरी के कारण | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | विभागीय और आपराधिक अन्वेषण प्रतीक्षित | | विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी परन्तु अंतिम रूप नहीं दिया गया (वसूली और अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित) | | आपराधिक कार्यवाही पूर्ण परन्तु राशि की वसूली लंबित (न्यायिक प्रक्रिया के कारण लंबित) | |
| | | प्रकरणों की संख्या | राशि | प्रकरणों की संख्या | राशि | प्रकरणों की संख्या | राशि | प्रकरणों की संख्या | राशि |
| 1. | निर्माण विभाग | 262 | 9.77 | 64 | 4.57 | 181 | 3.47 | 17 | 1.72 |
| 2. | शिक्षा विभाग | 153 | 50.20 | 45 | 39.50 | 83 | 9.51 | 25 | 1.20 |
| 3. | ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग | 119 | 25.36 | 98 | 22.46 | 18 | 1.34 | 3 | 1.55 |
| 4. | चिकित्सा विभाग | 69 | 7.22 | 39 | 4.81 | 8 | 0.98 | 22 | 1.44 |
| 5. | राजस्व विभाग | 55 | 12.62 | 37 | 4.69 | 11 | 7.62 | 7 | 0.30 |
| 6. | स्वायत्त शासन विभाग | 8 | 0.45 | 1 | 0.03 | 7 | 0.43 | 0 | 0.00 |
| 7. | अन्य विभाग | 97 | 12.68 | 31 | 2.13 | 54 | 9.36 | 12 | 1.19 |
| | **योग** | **763** | **118.30** | **315** | **78.19** | **362** | **32.71** | **86** | **7.40** |

लंबित प्रकरणों का विभाग वार विश्लेषण ***परिशिष्ट 4.5*** में दिया गया है। लंबित प्रकरणों की एक रूपरेखा तथा चोरी/हानि और दुर्विनियोजन के प्रत्येक श्रेणी में लंबित प्रकरणों की संख्या को नीचे **तालिका 4.28** में सारांशीकृत किया गया है:

**तालिका 4.28: दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि का विवरण**

| क्र.सं. | लंबित प्रकरणों की प्रकृति | | |
|---|---|---|---|
| | प्रकरणों की प्रकृति | प्रकरणों की संख्या | राशि (₹ करोड़ में) |
| 1. | चोरी/हानि | 461 | 20.21 |
| 2. | दुर्विनियोजन | 302 | 98.09 |
| | **कुल लंबित प्रकरण** | **763** | **118.30** |

आगे विश्लेषण उन कारणों को इंगित करता है, जिनके कारण प्रकरण बकाया थे और निम्नलिखित **तालिका 4.29** में सूचीबद्ध विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

**तालिका 4.29: दुर्विनियोजन, हानियों, जालसाजी इत्यादि के प्रकरणों के बकाया रहने के कारण**

| क्र.सं. | प्रकरणों के देरी/बकाया के कारण | प्रकरणों की संख्या | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| 1. | विभागीय कार्यवाही अपेक्षित | 315 | 78.19 |
| 2. | वसूली के आदेश प्रतीक्षित | 326 | 32.04 |
| 3. | अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित | 36 | 0.67 |
| 4. | न्यायिक प्रक्रिया के कारण लंबित | 86 | 7.40 |
| | **योग** | **763** | **118.30** |

लंबित दुर्विनियोजन प्रकरणों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्रकरण मुख्यतः रोकड़ पुस्तिका में जालसाजी, भंडार में रखे स्टॉक में गोलमाल, जाली बिलों/चैको द्वारा भुगतान/आहरण, सरकारी धनराशि बैंक में जमा नहीं करने इत्यादि से सम्बन्धित थे। चोरी/हानि के प्रकरण रोकड़, भंडार / स्टॉक, वाहन तथा वाहनों के कलपुर्जे, मशीनों एवं उपकरण इत्यादि की चोरी से सम्बन्धित थे। कुल 763 प्रकरणों में से राशि ₹ 32.71 करोड़ के 362 प्रकरण[23] वसूली/अपलेखन के लिए आदेशों की अपेक्षा में लम्बित थे तथा शेष प्रकरण विभागीय और न्यायिक कार्यवाही की अपेक्षा में लंबित थे।

## *4.15 पेंशन का अधिक/कम भुगतान*

### *कोषागार द्वारा निर्धारित जाँच करने में विफलता पेंशन/पारिवारिक पेंशन का कम/अधिक/अनियमित भुगतान का कारण बनी*

राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1996 (पेंशन) के परिशिष्ट VI (क्रम संख्या 9) प्रावधित करता है कि कोषाधिकारी (टीओ) अपने द्वारा संधारित अभिलेखों के सन्दर्भ में बैंक द्वारा किए गए भुगतानों की यथार्थता की जांच करेगा तथा लेनदेन को उसके लेखों में शामिल करेगा।

नौ जिलों में 11 बैंकों, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय और 57 कोषालयों/उप-कोषालयों के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2020 से मार्च 2021) में पाया गया कि 09 बैंकों और 23 कोषालयों/उप-कोषालयों में 146 मामलों में ₹94.49 लाख की अनियमितताएं और पेंशन / पारिवारिक

23. 326 वसूली के आदेशों की प्रतीक्षा में + 36 अपलेखन के आदेशों की प्रतीक्षा में।

पेंशन का अधिक भुगतान किया गया जैसा कि ***परिशिष्ट 4.6*** में वर्णित है । आगे, यह भी देखा गया कि 10 बैंकों ने 31 पेंशनभोगियों को ₹28.59 लाख का कम भुगतान किया।

पेंशनभोगियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अधिक/कम भुगतान के मामलों का उल्लेख वर्ष 2010-11 से 2019-20 के दौरान पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सिविल/जीएंडएसएस/राज्य वित्त) में भी किया गया है। विभाग के आदेश/निर्देश (अप्रैल 2014/फरवरी 2017) और भविष्य में पेंशन के भुगतान में इस तरह की अनियमितताओं की पुनरावृति से बचने के सम्बन्ध में जन लेखा समिति (पीएसी) (फरवरी 2018) की सिफारिश का सतर्कता से पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पेंशन के अधिक/कम भुगतान के मामलों की पुनरावृति हुई।

## *4.16 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही*

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 राज्य विधानसभा में अगस्त 2020 में प्रस्तुत किया गया था। पीएसी ने वर्ष 2016-17 तक राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा और सिफारिशें की । अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 के प्रतिवेदनों के लिए आठ विभागों (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, खान, माध्यमिक शिक्षा, वन, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, पीएचईडी और महिला एवं बाल विकास) से सम्बन्धित चार अनुच्छेदों पर पीएसी चर्चा आयोजित की गई थी । वर्ष 2017-18 और 2018-19 के प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सात अनुच्छेद चर्चा/प्रतिवेदन लेखन के लिए लंबित हैं। ये अनुच्छेद प्रमुख परियोजना/नीतिगत पहलों और बजट भाषण 2018-19 पर की गई कार्यवाही की स्थिति, निरन्तर बचतें, उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में देरी, निजी निक्षेप खाते, लिंग आधारित बजट और आरक्षित निधि से संबंधित हैं।

बकाया एटीएन की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 के अनुच्छेदों पर 13 विभागों से संबंधित 9 एटीएन 30 सितम्बर 2021 तक लम्बित थे।

## *4.17 निष्कर्ष*

| सकारात्मक संकेतक | नकारात्मक संकेतक |
|---|---|
| एसी बिलों की घटती संख्या | बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की बढ़ती संख्या |
| व्यय और प्राप्तियों का 100 प्रतिशत मिलान | स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बकाया वार्षिक लेखे |
| | लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत अत्यधिक राशि की बुकिंग |
| | ग्राम पंचायतों के बैंक खातों के शेषों के विवरण का पंचायत समिति या जिला परिषद स्तर पर संकलन नहीं होना |
| | पीडी खातों में योजनावार शेष का संधारण नहीं किया जाना |

## *4.18 सिफारिशें*

i. ऋण जिनके भुगतान का दायित्व राज्य सरकार पर है, को राज्य सरकार के वार्षिक लेखों में सरकार के दायित्व के रूप में प्रकट किया जाना चाहिए ।

ii. सरकार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जारी अनुदानों के संबंध में विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित कर सकती है ।

iii. वित्त विभाग सभी पीडी खातों की यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा कर सकता है कि इन पीडी खातों में अनावश्यक रूप से शेष सभी राशियों को यथाशीघ्र समेकित निधि में भेज दिया गया है। इसके अलावा, सभी पीडी खातों के लिए योजना-वार खाता संधारित किया जाना चाहिए।

iv. दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में त्वरित कार्यवाही करने और ऐसे मामलों की पुनरावृति रोकने के लिए आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार एक समयबध्द रुपरेखा तैयार करने पर विचार कर सकती है।

v. सरकार सारांशीकृत आकस्मिक बिलों का समायोजन निर्धारित अवधि के भीतर करने पर विचार कर सकती है और लंबित विस्तृत आकस्मिक बिलों का नियमित अनुश्रवण कर सकती है।

अनादि मिश्र

**(अनादि मिश्र)**
**महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)**
**राजस्थान**

**जयपुर,**
**22 मार्च, 2022**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

**नई दिल्ली,**
**23 मार्च, 2022**